भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/156

विवि.एफआईएन.आरईसी.सं.75/20.16.056/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 (01 जुलाई, 2026 तक अपडेट किया गया)

विषय-सूची

अध्याय-I	**प्रारंभिक** ----------	**4**
	ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ ----------	**4**
	बी. प्रयोज्यता ----------	**4**
	सी. परिभाषाएँ ----------	**4**
अध्याय-II	**सीआईसी की सदस्यता** ----------	**6**
अध्याय-III	**क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार** ----------	**7**
	ए. डेटा प्रारूप ----------	**7**
	बी. रिपोर्टिंग समय-सीमा और अद्यतनीकरण ----------	**7**
	सी. रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश ----------	**8**
	डी. अस्वीकृत डेटा में सुधार और डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई)की समीक्षा	**15**
	ई. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट में सुधार ----------	**15**
	एफ. ऋण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रेपोर्टों का उपयोग ------	**16**
	जी. सूचना का प्रदर्शन ----------	**16**
	एच. विनियमन विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों की प्रयोज्यता--	**18**
अध्याय-IV	**तकनीकी कार्य समूह** ----------	**19**
अध्याय-V	**ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण** ----------	**21**
	ए. ग्राहक सेवा सुदृढ़ बनाना ----------	**21**
	बी. ग्राहकों को क्षतिपूर्ति हेतु रूपरेखा ----------	**22**

	सी. रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना ----------	30
	डी. आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति ----------	30
अध्याय-VI	सर्वोत्तम प्रथाएँ ----------	31
अध्याय-VII	निरसन और अन्य प्रावधान ----------	32
	ए. निरसन और व्यावृत्ति ----------	32
	बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं----------	32
	सी. व्याख्याएं ----------	32
अनुबंध I	----------	34
अनुबंध II	----------	70
अनुबंध III	----------	71
अनुबंध IV	----------	81
अनुबंध V	----------	82
अनुबंध VI	----------	83

परिचय

इन निदेशों का उद्देश्य क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और वितरण के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करना; संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना; उपभोक्ताओं को उनकी क्रेडिट सूचना प्रदान करना तथा क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों पर शिकायत निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध कराना है।

तदनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात 'सीआईसीआरए' कहा गया है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), इस बात से संतुष्ट होते हुए कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा इसके पश्चात विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय-I प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. इन निदेशों का नाम 'भारत रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025' होगा।
2. जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे [जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'क्रेडिट संस्थाएं (सीआई)' और व्यक्तिगत रूप से 'क्रेडिट संस्था (सीआई)' कहा जाएगा] ।

इन निदेशों के प्रयोजन के लिए, 'वाणिज्यिक बैंक' से तात्पर्य बैंकिंग कंपनियों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर), तदनुरूपीनए बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक से है, जैसा कि क्रमशः बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 की खंड (सी), (डीए), और (एनसी) के तहत परिभाषित है।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त पदों के वही अर्थ होंगे जो नीचे दिए गए हैं:

(1) 'कंपनी' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 या कंपनी अधिनियम, 2013 की तदनुरूपीधारा के तहत परिभाषित कंपनी से है।

(2) 'क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी)' से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिन्हें सीआईसीआरए की धारा 5 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए की धारा 5 के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	आरबीआई के साथपंजीकृत सीआईसी की सूची	पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख
1.	सीआरआईएफ क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	25 नवंबर 2010

2.	इक्विफैक्स क्रेडिट इन्फर्मेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	26 मार्च 2010
3.	एक्सपेरियन क्रेडिट इन्फर्मेशन कंपनी आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17 फरवरी 2010
4.	ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड	05 मार्च 2012

(3) 'विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता (एसयू)' का वही अर्थ होगा जो सीआईसीआरए की धारा 2 के खंड (l) के तहत और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियमन, 2006, जिन्हें इसमें आगे 'सीआईसी विनियमन' (समय-समय पर यथासंशोधित) कहा गया है, के विनियम 3 के तहत अधिसूचित किया गया है।

5. इन निदेशों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या पद जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सीआईसीआरए, 2005, क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 (जिन्हें इसमें आगे 'सीआईसी नियम' कहा गया है) और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियम, 2006 (जिन्हें इसमें आगे 'सीआईसी विनियम' कहा गया है) में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो इन अधिनियमों /नियमों /विनियमों में दिया गया है। इन निदेशों या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किसी अन्य शब्द या पद का वही अर्थ होगा जो इन अधिनियमों में दिया गया है।

अध्याय – II : सीआईसी की सदस्यता

6. एक सीआई को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सीआईसी का सदस्य बनना होगा।

7. सीआईसी द्वारा सदस्य बनने के लिए सीआई से लिया जाने वाला एकमुश्त सदस्यता शुल्क प्रत्येक सदस्य के लिए ₹10,000/- से अधिक नहीं होगा ।

8. सीआईसी द्वारा एक सीआई से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क ₹5,000/- से अधिक नहीं होगा।

अध्याय- III : क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार

ए. डेटा प्रारूप

9. एक सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग **अनुबंध I** में निर्धारित मानकीकृत डेटा प्रारूपों में की जाएगी। यह मानकीकृत डेटा प्रारूप गैर-स्वामित्व वाले रिपोर्टिंग प्रारूप होंगे और इन्हें 'एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप' (यूसीआरएफ) के रूप में जाना जाएगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(1) प्रारूप 1: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (उपभोक्ता) – उपभोक्ता खंड के लिए।

(2) प्रारूप 2: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (वाणिज्यिक) – वाणिज्यिक खंड के लिए।

(3) प्रारूप 3: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) – सूक्ष्म वित्त खंड के लिए।

बी. रिपोर्टिंग समय-सीमा और अद्यतनीकरण

10. एक सीआई को रिपोर्टिंग समय-सीमा और अद्यतनीकरण पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा:

(1) सीआई को अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना (ऐतिहासिक डेटा सहित) सभी सीआईसी को प्रस्तुत करनी होगी।

(2) [1] किसी सीआई को अपने द्वारा एकत्रित/संरक्षित क्रेडिट सूचना को निम्नलिखित आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कम अंतराल पर नियमित रूप से अद्यतन रखना होगा:

(i) एक सीआई को महीने की 9वीं, 16वीं, 23वीं और अंतिम तारीख (जिसे आगे संदर्भ तिथियां कहा जाएगा) तक की क्रेडिट सूचना सीआईसी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) एक सीआई को महीने के आखिरी दिन तक के क्रेडिट संबंधी सभी रिकॉर्ड वाली पूरी फाइल अगले महीने की 5 तारीख तक सीआईसी को जमा करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए पूरी फाइल में सीआई के बहीखातों में दर्ज सभी सक्रिय खाते और वे खाते शामिल होंगे जिनमें उधारकर्ता और सीआई के बीच संबंध पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद समाप्त हो गया है।

(iii) महीने के दौरान अन्य प्रस्तुतियाँ, जैसे कि महीने की 9वीं, 16वीं और 23वीं तारीख तक के क्रेडिट सूचना अभिलेखों के लिए, एक सीआई को सीआईसी को केवल 'वृद्धिशील

[1] 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

खाते' प्रस्तुत करने होंगे। सीआई को उपर्युक्त तिथियों से चार (4) कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को ऐसी क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए वृद्धिशील खातों में निम्नलिखित खातों से संबंधित विवरण शामिल होंगे:

A. पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद खोले गए खाते;

B. वे खाते जिनमें उधारकर्ता और सीआई के बीच संबंध पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद समाप्त हो गया है;

C. वे खाते जिनमें उधारकर्ता द्वारा शुरू की गई किसी कार्रवाई/लेनदेन के कारण पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि से परिवर्तन हुआ है, और इसमें पुनर्भुगतान, बकाया राशि में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरणों में अद्यतन, संबंधित पक्ष, गारंटर, खाते का स्वामित्व, खाते का प्रकार शामिल हैं; और

D. ऐसे खाते जिनमें मूलधन पर ब्याज और/ या किस्त अतिदेय हो।

स्पष्टीकरण: ऐसे खाते जिनमें पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि से केवल अतिदेय दिनों (Days Past Due) में परिवर्तन हुआ है, वे भी रिपोर्टिंग का हिस्सा होंगे।।

(iv) रिपोर्टिंग के लिए समयसीमा पर एक उदाहरण अनुबंध-VI में दिया गया है।

(v) (v) सीआईसी, डेटा जमा करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहने वाले सीआई की सूची को सूचना और निगरानी उद्देश्यों के लिए अर्धवार्षिक अंतराल पर (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को) भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को DAKSH पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे।

(3) सीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीआईसी को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किए जाएं और चुकौती की कोई भी घटना, अंतिम किस्त सहित, बिना रिपोर्ट किए न रहे।

सी. रिपोर्टिंग दिशानिर्देश

11. सीआईसीआरए, सीआई द्वारा सीआईसी के साथ क्रेडिट सूचना साझा करने के लिए सांविधिक आधार प्रदान करता है, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है। इसलिए, सीआईसीआरए के लागू होने के साथ, 'सहमति खंड' की आवश्यकता अप्रासंगिक हो गई है और सीआई को उधारकर्ताओं से ऐसी सहमति प्राप्त करने का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।

12. सीआई को यूसीआरएफ में क्रेडिट सूचना की रिपोर्ट करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा:

(1) वाणिज्यिक रिपोर्टिंग खंड में, कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और कंपनी के निदेशकों का ऋण इतिहास (डीआईएन संख्या के आधार पर) रिपोर्ट किया जाएगा।

(2) सीआई उन मामलोंं की रिपोर्ट करेंगे जहां समझौता निपटान हुआ है और ऐसे समझौता निपटान का कारण भी निर्धारित डेटा प्रारूप में सीआईसी को रिपोर्ट करेंगे।

(3) आंशिक किस्त बकाया होने के संबंध में, सीआई को डेटा जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना होगा, जबकि राशि और अवधि के आधार पर कौन से फिल्टर लागू करने हैं, इस पर गुणात्मक जानकारी डेटा का उपयोग करने वाले एसयू और अन्य द्वारा की जाएगी।

(4) सीआई को 'निपटाया गया' स्थिति का उपयोग केवल विशिष्ट स्थितियों को दर्शाने के लिए करना होगा, जहां मूल नियमों और शर्तों के अनुसार चुकौती करने की वित्तीय अक्षमता के कारण ग्राहक को मूलधन या ब्याज में छूट या दोनों, प्रदान की जाती है।

स्पष्टीकरण: सीआई को ऐसे ग्राहकों को नया ऋण देने से पहले ऐसी स्थिति के बारे में अवगत होना चाहिए। त्रुटिपूर्ण डेबिट या विवादित प्रभारों वाले मामलों की रिपोर्ट 'निपटाया गया' के रूप में नहीं बल्कि 'विवादित' के रूप में की जानी चाहिए।

(5) कंपनियों द्वारा जारी किए गये वाणिज्यिक पत्रों की जानकारी, उस सीआई द्वारा पाक्षिक आधार पर सीआईसी को की जाएगी जिसे विशिष्ट सीपी निर्गम के लिए जारी करने और भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में नामित किया गया है। यदि एकल सीपी निर्गम के लिए कई आईपीए हैं, तो ऐसे प्रत्येक आईपीए को सीआईसी को उस निर्गम के उस हिस्से से संबंधित विवरण रिपोर्ट करना होगा जो उनके पास है। यह जानकारी **अनुबंध-II** में उल्लिखित क्षेत्रमें वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में रिपोर्ट की जाएगी। आईपीए को संबंधित सीपी मुद्दे की चुकौती में किसी भी चूक की भी रिपोर्ट सीआईसी को करनी होगी। आईपीए की रिपोर्टिंग आवश्यकता को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशक सीआई को सीपी की जानकारी, सीआईसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट, उधार देने वाले सीआई (एकल उधारदाताओं के मामले में)/ सहायता संघ अग्रणी (सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में)/ सबसे बड़े उधारदाता (एकाधिक उधार व्यवस्थाओं के मामले में) द्वारा पाक्षिक आधार पर सीआईसी को की जाएगी।

(7) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में स्वीकार किए

गए मामलों की रिपोर्ट सीआईसी को रिपोर्ट करते समय समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में मुकदमा दायर किए गए मामलों के तहत की जाएगी।

(8) 01 जुलाई 2018 या उसके बाद खोले गए सभी खातों के लिए सीआई द्वारा सीआईसी को आरएस डेटा की रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण:

(ए) वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में संबंध खंड के 'संबंध' क्षेत्र के तहत शेयरधारकों की जानकारी की रिपोर्टिंग केवल उन शेयरधारकों के लिए की जानी चाहिए जो 'लाभकारी स्वामी' हैं, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है, यथासमयसंशोधित।

(बी) संबंध खंड (आरएस) विवरण सीआईसी द्वारा सीआई को उधारकर्ता की व्यापक ऋण जानकारी प्रदान करते समय तीन मॉड्यूल, अर्थात उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई के मध्य क्रॉस-सहबद्धता स्थापित करने में महत्वपूर्ण हैं।

(सी) शेष पारंपरिक डेटा की रिपोर्टिंग के लिए समयसीमा की समीक्षा तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) द्वारा की जाएगी और सीआई को उचित समय में सूचनादी जाएगी। सीआईसी को आरएस डेटा की रिपोर्टिंग पर अनुदेशों का अनुपालन न करने वाले सीआई की सूची मासिक आधार पर पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

(9) क्रॉस-रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश, उदाहरण के लिए, जहां व्यक्ति उधारकर्ता है और कॉर्पोरेट सह-उधारकर्ता है, या इसके विपरीत, सीआईसी द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा। प्रारूपों में ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें डेटा को शामिल किया जा सकता है जहां उपभोक्ता डेटा की रिपोर्ट उपभोक्ता डेटा प्रारूप में की जाएगी और सह-उधारकर्ता की रिपोर्ट वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में की जाएगी।

(10) [2]एक सीआई अपने उधारकर्ताओं का केंद्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी) नंबर सीआईसी को सूचित करेगा, जहां भी यह उसके पास उपलब्ध हो अथवा जब भी सीकेवाईसी नंबर उपलब्ध कराया जाए (सीकेवाईसी नंबर के लिए नए आवेदकों के मामले में)।

[2] 01 जुलाई 2026 से लागू किया गया।

13. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों का डेटा

(1) एसएचजी को वित्तपोषित करने वाले सीआई को एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा की रिपोर्ट अनुबंध-I में उल्लिखित एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) में सीआईसी को करेंगे।

(2) सीआई द्वारा सीआईसी से एकत्र और रिपोर्ट किए जाने वाले एसएचजी सदस्यों के संबंध में ऋण जानकारी की संरचना नीचे दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	अनुबंध III
1	उन व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से सीआई द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी जहाँ एसएचजी सदस्य को आबंटित या उपलब्ध कराए जाने वाले कुल ऋण की राशि ₹30,000/- से अधिक है	सारणी 1
2	उन व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से सीआई द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी जहाँ एसएचजी सदस्य को आबंटित या उपलब्ध कराए जाने वाले कुल ऋण की राशि ₹30,000/- तक है	सारणी 2
3	सभी व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों के बारे में सीआई द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट की जाने वाली जानकारी [एकसमान ऋण रिपोर्टिंग (एमएफआई) प्रारूप के तहत शामिल]	सारणी 3
4	एसएचजी के नए बचत बैंक खाते खोलते समय बैंकों द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी	सारणी 4

(3) डेटा सारणी **अनुबंध – III** में दी गई है। उपर्युक्त के अनुसार, सीआई को सभी एसएचजी सदस्यों से सारणी 1 और 2 में जानकारी एकत्र करनी होगी और इसे सारणी 3 के अनुसार सीआईसी को रिपोर्ट करना होगा। सारणी 3 में उल्लिखित एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को **अनुबंध-I** के प्रारूप 3: समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप(एमएफआई) में शामिल किया जाएगा ताकि सीआईसी को रिपोर्टिंग की जा सके। उपर्युक्त सारणी को निम्नलिखित विचारों के आधार पर डिज़ाइन किया गया है:

(i) सारणी 1 और 2 की मद संख्या 17 में दी गई कुछ जानकारी एसएचजी सदस्यों के विद्यमान एक्सपोजर से संबंधित है, जिसमें वे एसएचजी समूह भी शामिल हैं जिनके साथ वे पूर्व में जुड़े रहे होंगे। यह जानकारी सीआई को एसएचजी सदस्यों के संबंध में सूचित ऋण निर्णय लेने में सहायता करने के उद्देश्य से है। यह जानकारी सीआई द्वारा एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई शुरुआती जानकारी के आधार पर सीधे सीआईसी से एकत्र की जा सकती है। अतः, सारणी 3 के अनुसार सीआईसी को रिपोर्ट किए जाने वाले डेटासेट में इस जानकारी को शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

(ii) एसएचजी सदस्यों के संबंध में ऋण जानकारी का संग्रह और रिपोर्टिंग केवल उन एसएचजी के सदस्यों तक सीमित होगी जो ₹1,00,000/- से अधिक का ऋण लेते हैं। हालाँकि, समूह ऋण की राशि चाहे जितनी हो, सभी एसएचजी के सदस्यों को गैर-ऋण जानकारी उस समय सीआई को एसएचजी समूह के माध्यम से रिपोर्ट करनी होगी जब एसएचजी ऋण के लिए सीआई के पास जाता है।

(iii) गैर-ऋण जानकारी की आवश्यकताएं न तो केवल व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की पहचान के दृष्टिकोण से डिज़ाइन की गई हैं, बल्कि बैंकों, विनियामक और सरकारी विकास एजेंसियों की जानकारी की आवश्यकताओं को पूरक बनाने के लिए भी हैं। इसका उद्देश्य एसएचजी सदस्यों के विभिन्न उप-खंडों में ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन करना और उप-खंडों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ऋण-पैठ(पेनट्रेशन) रणनीतियाँ तैयार करना है। यह जानकारी सीआई द्वारा सीआईसी को इस प्रकार रिपोर्ट की जाएगी कि सीआईसी किसी विशेष एसएचजी से जुड़े सभी सदस्यों और किसी विशेष व्यक्ति की उन सभी एसएचजी के साथ पहचान कर सकें जिनके साथ वह वर्तमान में या पूर्व में जुड़ा रहा/रही हो।

(4) सीआई को एसएचजी सदस्यों से संबंधित जानकारी एकत्र करने और सीआईसी को आवश्यक जानकारी रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को लागू करना होगा, जिसमें उनकी सिस्टम सॉफ़्टवेयर में आवश्यक बदलाव शामिल हैं।

(i) सीआई के पास एसएचजी के डेटा को स्वयं एकत्र और रिपोर्ट करने या इसे अन्य संस्थाओं को आउटसोर्स करने का विकल्प होगा। हालाँकि, यदि आउटसोर्स किया जाता है, तो उन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में वर्णित सामान्य अनुदेशोंका अनुपालन करना होगा (जहाँ तक लागू हो) । डेटा की शुद्धता के लिए सीआई ही उत्तरदायी रहेगा, भले ही डेटा आउटसोर्स एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) सीआई को एसएचजी खंड में एनपीए स्तरों की निरंतर निगरानी करनी होगी। यदि एसएचजी खंड में सकल एनपीए 10% से अधिक है या सीआई के सकल एनपीआई से 5 प्रतिशत अंक अधिक है, तो सीआई को ₹20,000/- की निचली सीमा से अधिक ऋण लेने वाले एसएचजी सदस्यों से विस्तृत जानकारी एकत्र करनी होगी।

(iii) यदि कोई सीआई इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता है, तो उसके गैर-अनुपालन वाले एसएचजी ऋण खातों को प्राथमिकता क्षेत्र उधारी (पीएसएल) लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पात्र ऋण पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाएगा।

(5) **अन्य परिचालनगत अनुदेश:**

(i) वर्तमान में, केवल सीआई से एसएचजी सदस्यों द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं का विवरण कैप्चर करने की योजना है। अतः, एसएचजी सदस्यों के मध्य उनकी स्वयं की बचत से होने वाले अंतर-ऋण से संबंधित जानकारी को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। हालाँकि, भविष्य में एसएचजी सदस्य की समग्र देनदारी को जानने के लिए अंतर-ऋण को कैप्चर करने की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

(ii) सीआई द्वारा एसएचजी को दी गई ऋण राशि में से एसएचजी सदस्यों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋणों के प्रदर्शन की निगरानी और रिपोर्टिंग में आने वाली चुनौतियों को देखते हुए, वर्तमान में ऋण रिपोर्टिंग प्रणाली को इन ऋणों की वापसी और वसूली की निगरानी तक विस्तारित करने की योजना नहीं है।हालांकि, इसे भविष्य में विचार किया जाएगा।

(iii) संभाव्य एसएचजी सदस्य उधारकर्ताओं के पर्याप्त जानकारी आधार के निर्माण और केवाईसी अनुपालित जानकारी के संग्रह प्रक्रिया को तेज करने के लिए, बैंकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि जब कोई एसएचजी बचत खाता खोलने के लिए संपर्क करे, तो वे एसएचजी सदस्यों को लघु खाते या मूल बचत बैंक जमा खाते खोलने की पेशकश करें। यदि सदस्य ऐसे खाते खोलने के लिए सहमत होते हैं, तो सारणी 4 की जानकारी एकत्र कर रिकॉर्ड में रखी जा सकती है, ताकि भविष्य में ऋण के लिए आवेदन के समय इसका उपयोग किया जा सके। हालाँकि, एसएचजी का बचत खाता खोलने के लिए इसे पूर्व-शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए।

(iv) पैरा 13 में विनिर्दिष्ट कोई भी डेटा आवश्यकता एसएचजी को ऋण देने के लिए पूर्व-शर्त नहीं बनाई जानी चाहिए, हालाँकि सीआई को इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए निष्ठावान प्रयास करने चाहिए।

(v) सीआई, एसएचजी को अपने सदस्यों को वितरित किए गए ऋणों का लिखित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोत्साहित करें, नाबार्ड की एसएचजी के लिए डिजिटाइजेशन योजना सहित जहाँ लागू हो, और इस संबंध में उपयुक्त प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।

(vi) सीआई को ऐसी उपयुक्त नीतियाँ विकसित करनी चाहिए जो सीआईसी द्वारा चूककर्ता के रूप में रिपोर्ट किए गए एसएचजी सदस्यों या एसएचजी से प्राप्त ऋण सुविधाओं के आवेदनों से निपटें। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि केवल ऐसे चूक के आधार पर एसएचजी या व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण से वंचित न किया जाए। सीआई को सदस्यों के ऋण इतिहास का उचित मूल्यांकन करना चाहिए, उनकी गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता और समूह की प्रस्तावित ऋण चुकाने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए उनके ऋण आवेदनों पर विचार करना चाहिए।

(vii) व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से संबंधित क्रेडिट सूचना का संग्रह, रिपोर्टिंग और वितरण सीआईसीआरए प्रावधानों और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर वर्तमान आरबीआई निदेशों के अनुसार किया जाएगा।

14. लाइसेंस रद्द होने के बाद रिपोर्टिंग तंत्र

(1) यदि आरबीआई द्वारा किसी सीआई का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है (चाहे वह स्वैच्छिक समर्पण हो या पर्यवेक्षी कार्रवाई के माध्यम से), तो सीआईसी, सीआई के उधारकर्ताओं के रिकॉर्ड में एक उपयुक्त अस्वीकार्यता खंड शामिल करेंगे ताकि यह दर्शाया जा सके कि सीआई के बंद होने के कारण उनके सीआईआर में रिकॉर्ड अद्यतन नहीं किया जा सकता है।

(2) लाइसेंस रद्द होने के बाद उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना अपडेट करने की चुनौतियों को दूर करने के लिए, सीआईसी और सीआई निम्नलिखित तंत्र को लागू करेंगे:

(i) आरबीआई द्वारा जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उन्हें सीआईसीआरए की धारा 2(एफ)(vii) के तहत ' क्रेडिट संस्था ' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) ऐसे सीआई को अपने लाइसेंस रद्द होने से पहले सीआईसी को ऑनबोर्ड और रिपोर्ट किए गए उधारकर्ताओं की क्रेडिट सूचना सभी चार सीआईसी को तब तक रिपोर्ट करते रहना होगा जब तक कि ऋण का जीवन-चक्र पूरा नहीं हो जाता या क्रेडिट संस्था का समापन नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।

(iii) ऐसे सीआई केवल उन उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें उनके लाइसेंस रद्द होने से पहले सीआईसी में ऑनबोर्ड और रिपोर्ट किया गया था।

(iv) सीआईसी ऐसे सीआई से वार्षिक और सदस्यता शुल्क नहीं वसूलेंगे।

(v) ये अनुदेश उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिनका लाइसेंस इन अनुदेशों के जारी होने से पहले आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था।

(vi) सीआईसी को क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे।

डी. अस्वीकृत डेटा का सुधार और डेटा गुणवत्ता सूचकांक(डीक्यूआई) की समीक्षा

15. [3]एक सीआई को सीआईसी द्वारा साझा किए गए अस्वीकृत डेटा को सुधारना होगा और अगली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के डेटा जमा करने से पहले/साथ ही सीआईसी को पुनः प्रस्तुत करना होगा।

16. सीआईसी उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त खंडों, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट सूचना कंपनियां) निदेश, 2025 में दिया गया है, के लिए डीक्यूआई तैयार और प्रदान करेंगे ताकि सीआईसी को सीआई द्वारा जमा किए गए डेटा की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके और समय के साथ उसे बेहतर बनाया जा सके।

17. प्रत्येक सीआई को सभी खंडों के लिए डीक्यूआई की अर्ध-वार्षिक समीक्षा करनी होगी। पहचानी गई समस्याओं और उठाए गए सुधारात्मक कदमों से युक्त एक रिपोर्ट प्रत्येक सीआई द्वारा उस अर्ध-वर्ष के समाप्त होने के दो महीने के भीतर अपने शीर्ष प्रबंधन के पास समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

ई. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट (सीआईआर) का सुधार

18. सीआई को सीआईसीआरए और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा, विशेष रूप से क्रेडिट सूचना के अद्यतन, परिवर्तन और विवादों के समाधान के संबंध में। इसके लिए सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 और 21 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा से किसी भी विचलन की निगरानी की जाएगी और ग्राहक सेवा पर बोर्ड/बोर्ड समिति के समक्ष रखी जाने वाली आवधिक रिपोर्टों/समीक्षाओं में इस पर टिप्पणी की जाएगी।

[3] 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

19. सीआई के पास सीआईआर में डेटा के सुधार के लिए ग्राहक से अनुरोध प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। उच्च डेटा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, सभी त्रुटिपूर्ण डेटा का सुधार उसी सीआई द्वारा स्रोत पर किया जाएगा जिसने मूल रूप से डेटा जमा किया था।

एफ. ऋण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रिपोर्टों का उपयोग

20. सीआई को अपनी ऋण नीतियों/ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में एक या अधिक सीआईसी से सीआईआर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करने होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण निर्णय सिस्टम में उपलब्ध क्रेडिट सूचना पर आधारित हों।

जी. सूचना का प्रदर्शन

21. जो सीआई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन-सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत जमानती लेनदार हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट पर उन उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना प्रदर्शित करनी होगी जिनकी जमानती आस्तियों को सीआई द्वारा सरफेसी अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया है। यह सूचना **अनुबंध IV** में दिए गए प्रारूप के अनुसार होनी चाहिए। इस सूचना की सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

(1) सीआई द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण को नोट किया जाए:

(i) 25 सितंबर 2023 को या उसके बाद सरफेसी अधिनियम के तहत किसी सीआई द्वारा कब्जे में ली गई जमानती आस्तियों का प्रकटीकरण करना अनिवार्य है।

(ii) जिन आस्तियों पर कब्जा किया जा चुका है और उन्हें सरफेसी अधिनियम के तहत पहले ही बेच दिया गया है, उन्हें वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) निम्नलिखित स्थितियों में वेबसाइट से सूचना हटा दी जाएगी:

(ए) जब जमानती आस्ति बेच दी जाए; या

(बी) जब जमानती लेनदार को बकाया राशि (मूलधन, ब्याज और अन्य देयताएं सहित) प्राप्त हो जाए या उधारकर्ता द्वारा सहमति प्राप्त निपटान राशि का भुगतान कर दिया जाए।

(iv) सरफेसी अधिनियम कब्जे को 'प्रतीकात्मक' या 'भौतिक' के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। अतः, धारा 13(4) के तहत दोनों प्रकार की आस्तियों (प्रतीकात्मक और भौतिक) की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। इसमें वेबसाइट पर प्रतीकात्मक और भौतिक दोनों प्रकार से कब्जे में ली गई आस्तियों का प्रदर्शन शामिल है।

(v) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जे में ली गई चल और अचल दोनों प्रकार की जमानती आस्तियों को सीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा, बशर्ते उनकी जानकारी चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) या नियम 6(2) के तहत, और अचल संपत्ति के मामले में इसी नियमावली के नियम 8(2) के तहत पहले ही समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा चुकी हो।

(vi) वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाने वाली 'बकाया राशि' सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(9)(बी) के तहत परिभाषा के अनुसार होगी, अर्थात इसमें जमानती लेनदार के बही खातों के अनुसार जमानती आस्तिके संबंध में उधारकर्ता द्वारा देय मूलधन, ब्याज और अन्य सभी देयताएं शामिल होंगी।

(vii) सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जे में ली गई जमानती आस्तियों का 'बकाया शेष' , 'आस्ति वर्गीकरण' और 'आस्ति वर्गीकरण की तारीख', चल संपत्ति के मामले में प्रतिभूति (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) या नियम 6(2) के तहत, और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8(2) के तहत समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार ही होंगी।।

(viii) **अनुबंध IV** का 'राज्य' स्तंभ शाखा के राज्य को दर्शाता है, क्योंकि 'उधारकर्ता का पता' स्तंभ में पहले से ही उधारकर्ता के राज्य की जानकारी समाहित होती है।

(ix) **अनुबंध IV** के 'गारंटीकर्ता' का नाम (जहाँ कहीं लागू हो)' स्तंभ में विवरण केवल उन गारंटीकर्ताओं तक सीमित होना चाहिए जिन्होंने सीआई के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किया हो और जिनकी आस्तियों को इस अधिनियम के तहत कब्जे में लिया गया हो।

(x) उपर्युक्त मासिक अद्यतन विशेष रूप से सीआई द्वारा कब्जे में ली गई नई जमानती आस्तियों को शामिल करने, तथा उन जमानती आस्तियों को हटाने से संबंधित हैं जिन्हें सीआई द्वारा बेच दिया गया है या जिनका समाधान कर दिया गया है।

(xi) यद्यपि सहायता-संघ करार के अनुसार अग्रणी ऋणदाता सरफेसी कार्यवाही शुरू कर सकता है, फिर भी सभी सहायता-संघ सदस्यों को अपनी-अपनी वेबसाइट पर कब्जे में ली गई आस्तियों का विवरण व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य है, जिसमें बकाया राशि और अन्य विवरण सममात्रा-प्रभार (पारी-पासु चार्ज) और सहायता-संघ करार के अनुसार होने चाहिए, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित रहे।

एच. विनियमन विभाग द्वारा जारी अन्य अनुदेशों की प्रयोज्यता

22. प्रत्येक सीआई को क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित निम्नलिखित निदेशों/परिपत्रों में निर्धारित लागू अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा:

1. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड: जारी करना और आचरण) निदेश, 2025 (यथासमय संशोधित)
2. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025 (यथासमय संशोधित)
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण सुविधाएँ) निदेश, 2025
4. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – ऋण जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025
5. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – वित्तीय सेवाओं का संचालन) निदेश, 2025

अध्याय-IV: तकनीकी कार्य-समूह

ए. तकनीकी कार्य- समूह के संबंध में अनुदेश

23. डेटा प्रारूपों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन करने के लिए एक सतत व्यवस्था को संस्थागत रूप देने के उद्देश्य से, एक तकनीकी कार्य-समूह **(**टीडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। टीडब्ल्यूजी के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(1) डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों की कम से कम वार्षिक रूप से एक बार समीक्षा करना और इस संबंध में रिज़र्व बैंक को सुझाव (यदि कोई हों) देना।

(2) सभी डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों (यथा- उपभोक्ता, वाणिज्यिक और सूक्ष्म वित्त/एमएफआई खंडों) के लिए डेटा क्षेत्र पर नियम तैयार करना। समूह द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डेटा प्रारूपों को अनुमोदन के लिए आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) क्रेडिट सूचना के संग्रह और वितरण से संबंधित कोई भी अन्य मामला जो रिज़र्व बैंक को समय-समय पर सौंपे।

24. टीडब्ल्यूजी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्था, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आवास वित्त कंपनियां, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, भारतीय बैंक संघ, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं नेटवर्क, सा-धन, सभी क्रेडिट सूचना कंपनियां, के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

25. टीडब्ल्यूजी की बैठकें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी। चारों सीआईसी बारी-बारी से (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए) टीडब्ल्यूजी के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे। यह बारी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर तय की जाएगी।

बी. टीडब्ल्यूजी की स्थायी उप-समिति

26. क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करने और सिफारिशें देने के लिए टीडब्ल्यूजी के एक स्थायी उप-दल का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीआई और सीआईसी द्वारा क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग में आने वाली चुनौतियों पर गहन चर्चा का समर्थन करना है। इसमें डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों में आवश्यक संशोधन सहित आईटी सिस्टम में बदलाव, शामिल हैं। यह

उप- दल क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु व्यापक टीडब्ल्यूजी का समर्थन करेगी।

27. उप- दल में सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां, स्व-विनियामक संगठन - यथा एमएफआईएन और सा-धन, सभी सीआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

28. उप- दल के सदस्यों का चयन संयोजक द्वारा रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किया जाएगा। चर्चाओं की विशेषज्ञता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, उप- दल के सदस्य अपनी बैठकों में विषय विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

29. क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के मुद्दों पर चर्चा करने और संभावित समाधान खोजने के लिए टीडब्ल्यूजी की उप- दल की बैठकें कम से कम अर्ध-वार्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी।

30. प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, जिस सीआईसी को किसी विशेष वर्ष के लिए टीडब्ल्यूजी का संयोजक बनाया गया है, वह उसी कैलेंडर वर्ष में उप-समिति के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा।

31. उचित तैयारी और तथ्यपरक चर्चा सुनिश्चित करने के लिए, संयोजक को नियोजित बैठक से कम से कम 15 (पंद्रह) दिन पहले बैठक की कार्यसूची और टिप्पणियां भेजनी होंगी। यदि सदस्य चर्चा के लिए कोई नया मुद्दा या मद पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें चर्चा के बिंदुओं और प्रस्तावित समाधानों को रेखांकित करते हुए एक नोट संयोजक को भेजना चाहिए।

32. उप- दल की चर्चाओं से निकलने वाले कार्यवाही बिंदुओं में सीआईसी और सीआई द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए निश्चित समय-सीमा शामिल होनी चाहिए।

33. टीडब्ल्यूजी की उप- दल की सिफारिशों को विचार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित विनियमन विभाग को अग्रेषित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आरबीआई इन सिफारिशों पर टीडब्ल्यूजी की राय ले सकता है।

अध्याय-V: ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण

ए. ग्राहक सेवा का सुदृढ़ीकरण

34. सीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा की प्रभावकारिता में सुधार करने तथा उसे सुदृढ़ करने के लिए, सीआई को निम्नलिखित उपाय करने होंगे:

(1) सीआईसी में क्रेडिट सूचना अद्यतन करना:

(i) जहां मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी का विवरण उपलब्ध हो, वहां सीआई को मौजूदा ऋण सुविधाओं में चूक या अतिदेय डेज़ पास्ट ड्यू की सूचना सीआईसी को भेजते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजना होगा।

(ii) एसएमएस/ईमेल अलर्ट भेजने को सक्षम बनाने के लिए, सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना रिपोर्ट करने के लिए 'समान ऋण रिपोर्टिंग प्रारूप' में **अनुबंध-V** में दिए गए विवरण के अनुसार संशोधन किया गया है।

(iii) सीआई को अपने ग्राहकों को अपने मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करने होंगे।

(2) नोडल अधिकारी/बिंदु की स्थापना:

(i) सीआई के पास सीआईसी के साथ ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/अधिकारी होना चाहिए। नोडल अधिकारी/बिंदु का विवरण (ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर सहित) सीआई द्वारा सीआईसी को प्रदान किया जाएगा।

(ii) यदि नोडल अधिकारी/बिंदु में कोई परिवर्तन होता है, तो सीआई को ऐसे परिवर्तन की तारीख से पांच कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को सूचित करना होगा।

(3) डेटा सुधार अनुरोधों की अस्वीकृति के कारण:

(i) सीआई को ग्राहकों को उनके डेटा सुधार अनुरोधों की अस्वीकृति के कारण बताने होंगे, यदि कोई हो, ताकि ग्राहक सीआईआर में मौजूद मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

(ii) शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों/सीआईसी द्वारा किए गए डेटा सुधार अनुरोधों की अस्वीकृति की सूचना देते समय, सीआई को सीआईसी द्वारा परिचालित अस्वीकृति के कारणों की सूची का ही उपयोग करना होगा।

(4) शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण

(i) सीआई को कम से कम अर्ध-वार्षिक रूप से ग्राहक शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) करना होगा। आरसीए करने के लिए सीआई को, अन्य बातों के अलावा, सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का सूचना के स्रोतों के रूप में भी उपयोग करना होगा।

(ii) आरसीए की समीक्षा शीर्ष प्रबंधन द्वारा कम से कम वार्षिक रूप से की जानी चाहिए।

बी. ग्राहकों के लिए क्षतिपूर्ति का ढांचा

35. क्रेडिट सूचना अद्यतनीकरण/सुधार करने में देरी के लिए सीआई निम्नलिखित क्षतिपूर्ति तंत्र लागू करेगी:

(1) यदि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान सीआई या सीआईसी के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तिथि से 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर नहीं होता है, तो वे प्रति कैलेंडर दिन ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण:

(i) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21 (3) में प्रावधान है कि कोई शिकायतकर्ता क्रेडिट सूचना में उचित संशोधन, जोड़ या अन्यथा करके उसे अद्यतन करने के लिए सीआईसी या सीआई से अनुरोध कर सकता है, और ऐसे अनुरोध पर सीआई या सीआईसी को अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर क्रेडिट सूचना को अद्यतन करने के लिए कदम उठाने होंगे।

(ii) सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3) (सी) में प्रावधान है कि सीआई को क्रेडिट सूचना में त्रुटि की जानकारी मिलने की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट सूचना के संशोधित विवरण सीआईसी या शिकायतकर्ता को अग्रेषित करने होंगे।

(iii) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21 (3) और सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3) (सी) का संयुक्त रूप से पठन यह दर्शाता है कि शिकायत का समाधान/ निपटान करने के लिए सीआई और सीआईसी को सामूहिक रूप से कुल मिलाकर तीस (30) दिनों की सीमा प्राप्त है। प्रभावी रूप से, इसका अर्थ यह होगा कि शिकायत के पूर्ण समाधान के लिए सीआई को 21 दिन मिलेंगे और सीआईसी को शेष नौ दिन प्राप्त होंगे।

(2) सीआई शिकायतकर्ता या सीआईसी द्वारा सूचित किए जाने के 21 कैलेंडर दिनों के भीतर उचित सुधार या जोड़ करके अद्यतन क्रेडिट सूचना सीआईसी को भेजने में विफल रहता है, तो सीआई को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(3) सीआई या सीआईसी को सभी मामलों में, जिन मामलों में शिकायत को अस्वीकार कर दिया गया हो, सहित शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा। अस्वीकृति के मामलों में, सीआई और सीआईसी को अस्वीकृति के कारण भी प्रदान करने होंगे।

(4) शिकायत दर्ज करने के 30 कैलेंडर दिनों से अधिक की देरी के लिए सीआईसी/सीआई द्वारा शिकायतकर्ता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को संबंधित सीआई और सीआईसी के मध्य आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

उदाहरण:

(i) शिकायतकर्ता द्वारा सीआईसी में पंजीकृत शिकायतें

शिकायत के समाधान के लिए प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की कुल अवधि में, क्रेडिट सूचना सी आई को अधिकतम 21 दिन और क्रेडिट सूचना कंपनी को शेष अवधि मिलती है। विविध परिदृश्यों के तहत सीआईसी/सीआई द्वारा देय मुआवजे की गणना नीचे दिए गए उदाहरणों के अनुसार की जाएगी:

मामला 1

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत पंजीकृत की गई।
- 12 जनवरी 2022 को सीआईसी ने सीआई (उदाहरण के लिए, बैंक ए) से पुष्टि मांगी।
- बैंक ए ने 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान की (21वां दिन 2 फरवरी, 2022 होगा) – बैंक ए द्वारा कोई विलंब नहीं।
- सीआईसी ने 3 फरवरी 2022 को शिकायत का समाधान किया और शिकायतकर्ता को संशोधित क्रेडिट सूचनासीआईआर प्रदान की।
- अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से तीन (3) दिनों के विलंब के लिए, सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹300/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मामला 2

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत पंजीकृत की गई।

- 5 जनवरी 2022 को सीआईसी ने बैंक ए से पुष्टि मांगी।
- बैंक ए ने 26 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान की (अर्थात 21 दिनों के भीतर) – बैंक ए द्वारा कोई विलंब नहीं।
- सीआईसी ने 3 फरवरी, 2022 को शिकायत का समाधान किया और शिकायतकर्ता को संशोधित क्रेडिट सूचनासीआईआर प्रदान की।
- अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से तीन (3) दिनों के विलंब के लिए, सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹300/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मामला 3

- 1 जनवरी2022 को सीआईसी में शिकायत पंजीकृत की गई।
- 5 जनवरी 2022 को सीआईसी ने बैंक ए से पुष्टि मांगी।
- बैंक ए ने 28 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान की (21वां दिन 26 जनवरी, 2022 होता) – बैंक ए द्वारा 2 दिन का विलंब।
- यदि सीआईसी 2 फरवरी, 2022 को शिकायत का समाधान करता है और शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है, तो अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से दो (2) दिन के विलंब के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को ₹200/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी 3 फरवरी, 2022 को शिकायत का समाधान करता है और शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है, तो अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से तीन (3) दिन के विलंब के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹300/- का मुआवजा (₹200/- बैंक ए द्वारा और ₹100/- सीआईसी द्वारा) प्रदान किया जाएगा।

मामला 4

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी में शिकायत पंजीकृत की गई।
- 5 जनवरी 2022 को सीआईसी ने बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी, बैंक डी और बैंक ई से पुष्टि मांगी – अर्थात पुष्टि मांगने में सीआईसी को 4 दिन लगे।
- बैंक ए, बी, सी, डी और ई के लिए – (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा)।
- यदि बैंक ए 26 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – कोई विलंब नहीं।
- यदि बैंक बी 31 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 5 दिन का विलंब।
- यदि बैंक सी 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 7 दिन का विलंब।
- यदि बैंक डी 4 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 9 दिन का विलंब।

32 दिन

- यदि बैंक ई 6 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है – 11 दिन का विलंब।
- अतः, शिकायत के समाधान में कुल विलंब इस प्रकार है:
- यदि सीआईसी 6 फरवरी, 2022 को शिकायत का समाधान करता है और शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है, तो अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से 6 दिन के विलंब के लिए, शिकायतकर्ता को कुल ₹600/- का मुआवजा भारित औसत के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

स्पष्टीकरण: छह दिनों के विलंब का विभाजन प्रत्येकक्रेडिट सूचना सीआई या क्रेडिट सूचनासीआईसी द्वारा किए गए विलंब की सीमा के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त मामले में, कुल विलंब 6 दिन है और इसलिए शिकायतकर्ता कुल ₹600 के मुआवजे का हकदार होगा। इसे सभी चूककर्ता बैंकों (इस मामले में बैंक बी, सी, डी और ई) के मध्य विभाजित किया जाना आवश्यक है। संपूर्ण रूप से, सभी चूककर्ता बैंकों द्वारा किए गए विलंब को जोड़ने पर कुल 32 दिन (5+7+9+11 दिन) होता है। अतः, ₹600 की मुआवजा राशि को इस मामले में 32 दिनों के कुल विलंब के सापेक्ष प्रत्येक सीआई द्वारा किए गए विलंब के भारित औसत पर विभाजित किया जाएगा:

- बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
- बैंक बी = (5 * 600) / 32 = ₹93.75
- बैंक सी = (7 * 600) / 32 = ₹131.25
- बैंक डी = (9 * 600) / 32 = ₹168.75
- बैंक ई = (11 * 600) / 32 = ₹206.25
- सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं

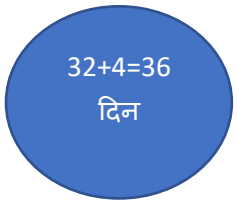
- यदि सीआईसी 11 फरवरी 2022 को शिकायत का समाधान करता है और शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है, तो सीआईसी द्वारा लिया गया कुल समय 9 दिन होगा (अर्थात 4 + 5 दिन)। अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 11 दिनों के विलंब के लिए, शिकायतकर्ता को कुल ₹1100 का मुआवजा भारित औसत के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

    - बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
    - बैंक बी = (5 * 1100) / 32 = ₹171.88
    - बैंक सी = (7 * 1100) / 32 = ₹240.62

- बैंक डी = (9 * 1100) / 32 = ₹309.38
- बैंक ई = (11 * 1100) / 32 = ₹378.12
- सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं (क्योंकि सीआईसी ने कुल 9 दिन ही लिए हैं)

- यदि सीआईसी 15 फरवरी, 2022 को शिकायत का समाधान करता है और शिकायतकर्ता को अंतिम संशोधित सीआईआर प्रदान करता है, तो सीआईसी ने 13 दिन (अर्थात 4 दिन + 9 दिन) लिए हैं। अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से 15 दिनों के विलंब के लिए, शिकायतकर्ता को कुल ₹1500 का मुआवजा भारित औसत के आधार पर निम्नानुसार प्रदान किया जाएगा:

  - बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
  - बैंक बी = (5 * 1500) / 36 = ₹208.34
  - बैंक सी = (7 * 1500) / 36 = ₹291.66
  - बैंक डी = (9 * 1500) / 36 = ₹375.00
  - बैंक ई = (11 * 1500) / 36 = ₹458.34
  - सीआईसी = (4 * 1500) / 36 = ₹166.66



मामला 5

- शिकायत 1 जनवरी 2022 को एक सीआईसी के पास दर्ज की गई।
- सीआईसी ने 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि मांगी।

- बैंक ए ने 28 जनवरी 2022 को सीईसी को पुष्टि प्रदान की (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होता) – बैंक ए द्वारा 2 दिन की देरी।
- यदि, सीआईसी शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर (अर्थात 31 जनवरी 2022 को) समाधान करके संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान कर देता है, तो क्षतिपूर्ति का कोई मामला नहीं बनता है।

  हालांकि, सीआईसीआरए, 2005 और इसके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथोचित समझे जाने पर सीआई दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) शिकायतकर्ता द्वारा सीआई के पास दर्ज शिकायतें

मामला 6

- शिकायत 1 जनवरी 2022 को एक सीआई (उदाहरण के लिए, बैंक ए) के पास दर्ज की गई।
- बैंक ए ने 22 जनवरी 2022 को सीआईसी को संशोधित विवरण प्रदान किए (21वां दिन 22 जनवरी 2022 होता) – बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं।
- यदि सीआईसी 31 जनवरी 2022 को समाधान करके संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करता है और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को ही शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है – क्षतिपूर्ति का कोई मामला नहीं बनता है।
- यदि सीआईसी 31 जनवरी 2022 को समाधान करके संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करता है और बैंक ए शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर 1 फरवरी 2022 को प्रदान करता है – अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 1 दिन की देरी के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को ₹100 की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- यदि सीआईसी 1 फरवरी 2022 को समाधान करके संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करता है और बैंक ए शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर 1 फरवरी, 2022 को प्रदान करता है – अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी, 2022 तक) से 1 दिन की देरी के लिए सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को ₹100 की क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
- यदि सीआईसी 1 फरवरी 2022 को समाधान करके संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करता है और बैंक ए शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर 2 फरवरी 2022 को प्रदान करता है – अनुमेय 30 दिनों की अवधि (अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 2 दिन की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹200 की क्षतिपूर्ति [₹100 सीआईसी द्वारा और ₹100 बैंक ए द्वारा] प्रदान की जाएगी।

नोट: जहाँ शिकायत/शिकायत में एक(1) से अधिक सीआई की त्रुटिपूर्ण क्रेडिट जानकारी शामिल है, वहाँ ग्राहक द्वारा शिकायत संबंधित सीआईसी के पास दर्ज की जाएगी। सीआईसी सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय करेगा और ग्राहक को शिकायत का व्यापक समाधान प्रदान करेगा।

मामला 7

- 1 जनवरी 2022 को ऋण जानकारी देने वाली संस्था सीआई (उदाहरण के लिए बैंक ए) के पास शिकायत दर्ज की गई।
- बैंक ए ने 25 जनवरी 2022 को शिकायत का समाधान किया और सीआईसी (क्रेडिट इंफर्मेशन कंपनी) को संशोधित विवरण प्रदान किए (21वां दिन 22 जनवरी 2022 था) – बैंक ए द्वारा 3 दिन की देरी।
- यदि सीआईसी 31 जनवरी 2022 को संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान कर देती है और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को ही शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान कर देता है – तो मुआवजे का कोई मामला नहीं बनता है।
- यदि सीआईसी 3 फरवरी 2022 को संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करती है (अर्थात बैंक ए द्वारा सूचित किए जाने के बाद सीआईसी को 9 दिन लगते हैं) और बैंक ए 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है – तो अनुमेय अवधि (30 दिन, अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 3 दिन की देरी के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को ₹300 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी 3 फरवरी 2022 को संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करती है और बैंक ए 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है – तो अनुमेय अवधि (30 दिन, अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 4 दिन की देरी के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को ₹400 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
- यदि सीआईसी 4 फरवरी 2022 को संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करती है और बैंक ए 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है – तो अनुमेय अवधि (30 दिन, अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 4 दिन की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹400 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा [जिसमें से ₹100 सीआईसी द्वारा और ₹300 बैंक ए द्वारा]।
- यदि सीआईसी 4 फरवरी 2022 को संशोधित सीआईआर बैंक ए को प्रदान करती है और बैंक ए 5 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है – तो अनुमेय अवधि (30 दिन, अर्थात इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से 5 दिन की देरी के लिए शिकायतकर्ता को कुल ₹500 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा [जिसमें से ₹100 सीआईसी द्वारा और ₹400 बैंक ए द्वारा]।

(5) जहाँ शिकायत/शिकायत में एक से अधिक सीआई द्वारा प्रदान की गई त्रुटिपूर्ण ऋण जानकारी शामिल है, वहाँ शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत संबंधित सीआईसी के पास दर्ज की जाएगी। सीआईसी सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय करेगी और शिकायतकर्ता को शिकायत का व्यापक समाधान प्रदान करेगी।

(6) जहाँ शिकायत किसी सीआई द्वारा प्राप्त और दर्ज की गई है और शिकायत के समाधान में देरी हुई है, तो अंतिम समाधान के बाद सीआई संबंधित सीआईसी(ओं) और शिकायतकर्ता को कुल देरी (कैलेंडर दिनों में) और सीआई और/या सीआईसी(ओं) द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में सूचित करेगी।

(7) शिकायत के समाधान की तिथि वह तिथि होगी जब संशोधित सीआईआर सीआईसी या सीआई द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डाक पते या ईमेल आईडी पर भेजी गई हो।

(8) सीआई को अपने शिकायत प्रस्तुति प्रारूप (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में मुआवजे की राशि जमा करने के लिए शिकायतकर्ता को संपर्क विवरण, ईमेल आईडी और बैंक खाते का विवरण/यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) आईडी प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के लिए उपयुक्त प्रावधान करना होगा। सटीक विवरण प्रदान करने का दायित्व शिकायतकर्ता का होगा और शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी त्रुटिपूर्ण जानकारी के लिए सीआई जिम्मेदार नहीं होंगे।

(9) शिकायत के समाधान के पांच कार्य दिवसों के भीतर मुआवजे की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।

(10) सीआई या सीआईसी द्वारा मुआवजे के त्रुटिपूर्ण इनकार की स्थिति में, शिकायतकर्ता 'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, यथासमय यथासंशोधित ' के तहत आरबीआई ओम्बड्समैन के पास जा सकता है।

(11) यदि किसी सीआई द्वारा मुआवजे का त्रुटिपूर्ण इनकार किया गया है जो अभी तक 'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, यथासमय यथासंशोधित ' के अंतर्गत नहीं आया है, तो शिकायतकर्ता आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में कार्यरत उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (सीईपीसी) के पास जा सकता है।

(12) निम्नलिखित मामलों में मुआवजा ढांचा लागू नहीं होगा:

(i) वे विवाद जिनके लिए सीआईसीआरए, 2005 की धारा 18 के तहत उपचार प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए, 2005 की धारा 18 में प्रावधान है कि सीआईसी, सीआई, उधारकर्ताओं और ग्राहकों के मध्य ऋण जानकारी के व्यवसाय से संबंधित मामलों पर उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए, जिनके लिए सीआईसीआरए, 2005 के तहत कोई उपचार प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे विवादों का निपटारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में प्रदान किए गए सुलह या मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

(ii) वे शिकायतें/संदर्भ जो (ए) आंतरिक प्रशासन, (बी) मानव संसाधन, (सी) कर्मचारियों का वेतन और पारिश्रमिक, और (डी) सीआई के सुझावों और वाणिज्यिक निर्णयों की प्रकृति के संदर्भों से संबंधित हैं।

(iii) वे शिकायतें जिनका निर्णय अन्य निकायों जैसे उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, न्यायालय, अधिकरण आदि द्वारा पहले ही कर दिया गया है या जो वहां लंबित हैं।

सी. रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना

36. रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, (आरबीआईओएस), यथासमय यथासंशोधित, के अंतर्गत आने वाली सीआई को उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए निदेशों का पालन करना होगा।

डी. आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति

37. आंतरिक ओम्बड्समैन ढांचे के अंतर्गत आने वाली सीआई को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 दिनांक 29 दिसंबर 2023 (समय-समय पर यथासंशोधित) के तहत जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

अध्याय-VI: सर्वोत्तम प्रथाएं

38. सीआई को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीआईसीआरए के तहत अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करते समय या उनकी समीक्षा करते समय नीचे विस्तृत सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखना चाहिए:

(1) ऋण चुकौती जानकारी के अद्यतन न किए जाने की घटनाओं से बचा जा सकता है यदि 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के जारी करने को केंद्रीकृत किया जाए और सीआईसी को जानकारी प्रदान की जाए।

(2) ग्राहक शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से क्रेडिट जानकारी के अद्यतन/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों के संबंध में।

(3) क्रेडिट जानकारी के संबंध में शिकायत निवारण को शिकायत निवारण की मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। क्रेडिट जानकारी से संबंधित ग्राहक शिकायतों के पहलू भी सीआई की ग्राहक सेवा नीति का अभिन्न अंग हो सकते हैं।

(4) सीआई को सीआईसी को पूर्ण ग्राहक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पहचानकर्ता जानकारी जैसे पैन संख्या, मतदाता पहचान पत्र संख्या आदि सभी रिकॉर्ड के लिए सीआई द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

(5) प्रथम बार ऋण लेने वालों के ऋण आवेदनों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

(6) सीआई और सीआईसी से जुड़े न्यायालयिक मामलों को कम करने के उद्देश्य से, शिकायतों को तत्काल आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। सीआई के पास शिकायत निवारण की एक संरचित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें बोर्ड की उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन करना भी शामिल है।

अध्याय-VII: निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

39. इन निदेशों के जारी होने के साथ, वाणिज्यिक बैंकों पर लागू क्रेडिट जानकारी रिपोर्टिंग से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त हो जाते हैं, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 के माध्यम से सूचित किया गया था। इन निदेशों के जारी होने से पूर्व निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशा-निर्देश निरस्त ही बने रहेंगे।

40. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों के तहत की गई या किए जाने का दावा की गई, या आरंभ की गई किसी भी कार्रवाई पर तत्संबंधी प्रावधान लागू होते रहेंगे। इन निरस्त सूचियों के तहत प्रदान किए गए सभी अनुमोदन या स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों का निरसन किसी भी प्रकार से निम्नलिखित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा:

(ए) इसके तहत अर्जित, संचित या उत्पन्न कोई अधिकार, दायित्व या देयता;

(बी) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में लगाया गया कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;

सी) उक्त किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही याउपाय; और कोई भी ऐसी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय आरंभ, जारी या लागू किया जा सकता है और कोई भी ऐसा जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है, मानो उन निदेशों, अनुदेशों या दिशा-निर्देशों को रद्द नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

41. इन निदेशों के प्रावधान, उस समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अपकारक।

सी. व्याख्याएं

42. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), यदि आवश्यक समझे, तो यहाँ समाहित किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की आरबीआई द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध-I

एकसमान ऋण रिपोर्टिंग प्रारूप

प्रपत्र 1: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप(उपभोक्ता)

खंड				फील्ड्स			
हेडर	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर उपयोगकर्ता आईडी	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर संक्षिप्त नाम	चक्र पहचान	रिपोर्ट की गई और प्रमाणित तिथि	रिपोर्टिंग पासवर्ड	प्रमाणीकरण विधि	सदस्य डेटा
नाम		उपभोक्ता का नाम		जन्मतिथि		लिंग(स्त्री/पु.)	
आईडी	आईडी का प्रकार	आईडी संख्या		जारी तारीख		समापन तिथि	
टेलीफोन		टेलीफोन नंबर		टेलीफोन विस्तार		टेलीफोन का प्रकार	
ईमेल				ईमेल आईडी			
पता	उपभोक्ता का पता	राज्य कोड		पिन कोड	पते की श्रेणी	आवास कोड	
खाता	वर्तमान/नया रिपोर्टिंग सदस्य कोड	वर्तमान/नया सदस्य का संक्षिप्त नाम	वर्तमान/नया खाता संख्या	खाता का प्रकार	स्वामित्व संकेतक	खोली गई /संवितरित करने की तिथि	अंतिम भुगतान की तिथि
बंद करने की तिथि	रिपोर्ट करने एवं प्रमाणित करने की तिथि	उच्च क्रेडिट/स्वीकृत राशि	वर्तमान शेष राशि	अतिदेय राशि	कितने दिनों से बकाया	पुरानी रिपोर्टिंग सदस्य कोड	
पुराना सदस्य संक्षिप्त नाम	पुराना खाता संख्या	पुराना खाता प्रकार	पुराना स्वामित्व संकेतक	दायर वाद/इरादतन चूककर्ता	क्रेडिट सुविधा की स्थिति	आस्ति वर्गीकरण	
संपर्श्विक का मूल्य	संपार्श्विक का प्रकार	क्रेडिट सीमा	नकद सीमा	ब्याज दर	चुकौती अवधि	समान मासिक किस्त (ईएमआई) राशि	
बट्टे खाते डाली गई राशि(कुल)	बट्टे खाते डाली गई राशि(मूल)	समझौता राशि	भुगतान आवृत्ति	वास्तविक भुगतान की गई राशि	व्यवसाय कोड	आय	
निवल/सकल आय संकेतक				मासिक/वार्षिक आय संकेतक			

टिप्पणी: उपभोक्ता रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग फ़ील्ड्स में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कैटलॉग में दिए गए मानों/मूल्यों को शामिल किया जाना है:

फील्ड का नाम	**टिप्पणी**
खाते का प्रकार	अतिरिक्त कैटालाग मान को शामिल करना: - अल्कालिक वैयक्तिक ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र – स्वर्ण ऋण अस्थायी ओवरड्राफ्ट (यदि खाते में जमा शेष होने के बावजूद क्रेडिट संस्था (सीआई) द्वारा उसे बाद के महीनों में

	रिपोर्ट नहीं किया जाता है, तो क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) द्वारा उक्त खाते को बंद माना जाना चाहिए।
ऋण सुविधा की स्थिति	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • कोविड-19 के कारण पुनर्गठित • बट्टे खाते में डालने के पश्चात बंद • पुनर्गठित और बंद • नीलामी की गई और निपटाया गया • पुन:कब्जा लिया गया और निपटाया गया • गारंटी लागू की गई
स्वामित्व संकेतक	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: - दिवंगत
संपार्श्विक का प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: अनेक प्रतिभूतियां और अन्य
आईडी का प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • एनआरईजीए कार्ड संख्या • सीकेवाईसी
भुगतान आवृत्ति	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • एकमुश्त भुगतान • दैनिक • अर्धवार्षिक • वार्षिक • मांग पर
पता की श्रेणी	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: - बंधक संपत्ति का पता
उच्च क्रेडिट/ स्वीकृत राशि	रिपोर्टिंग फील्ड अनिवार्य हैं।

प्रपत्र 2: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप(वाणिज्यिक)

खंड				**फील्ड्स**		
हेडर	सदस्य आईडी	पिछला सदस्य आईडी	इनपुट फाइल बनाने एवं प्रमाणन की तिथि	रिपोर्टिंग/चक्र तिथि	सूचना का प्रकार	फिलर
उधारकर्ता	सदस्य शाखा कोड	पिछले सदस्य की शाखा का कोड	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का संक्षिप्त नाम	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि
पैन	सीआईएन	टीआईएन	सेवा कर संख्या	उद्यम पंजीकरण संख्या	उधारकर्ता का विधिक संगठन	व्यवसाय श्रेणी
व्यवसाय/उद्योग का प्रकार	गतिविधि 1 की श्रेणी	गतिविधि 2 की श्रेणी	गतिविधि 3 की श्रेणी	एस्ईसी कोड	विक्रय आंकड़े	वित्तीय वर्ष

कर्मचारियों की संख्या	क्रेडिट रेटिंग	मूल्यांकनकर्ता एजेंसी/प्राधिकारी	-----तारीख को क्रेडिट रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग समापन तिथि	फिलर

पता	उधारकर्ता के कार्यालय के स्थान का प्रकार	उधारकर्ता कार्यालय का डीयूएनएस संख्या	पता- पहली पंक्ति	पता- दूसरी पंक्ति	पता-तीसरी पंक्ति	शहर/क़स्बा	जिला

राज्य/संघशासित क्षेत्र	पिन कोड	देश	मोबाइल संख्या	टेलीफोन क्षेत्र का कोड	टेलीफोन संख्या	फैक्स क्षेत्र का कोड

ईमेल आईडी	फिलर

संबंध	संबंध डीयूएनएस संख्या	संबंध प्रकार	संबंध	कारोबारी इकाई का नाम	व्यवसाय श्रेणी	व्यवसाय/उद्योग का प्रकार	वैयक्तिक का उपनाम

पूरा नाम	लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन तिथि	जन्मतिथि	पैन	मतदान आईडी
पासपोर्ट संख्या	ड्राइविंग लाइसेंस संख्या	यूआईडी	राशन कार्ड सं.	सीआईएन	डीआईएन	टीआईएन
सेवा कर संख्या	सीकेवाईसी	नियंत्रण का प्रतिशत	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/क़स्बा
जिला	राज्य/संघशासित क्षेत्र	पिन कोड	देश	मोबाइल संख्या	टेलीफोन संख्या	टेलीफोन क्षेत्र कोड

फैक्स संख्या	फैक्स क्षेत्र कोड	फिलर

खंड				**फील्ड्स**			
क्रेडिट सुविधा	खाता संख्या	पिछला खाता संख्या	सुविधा/ऋण सक्रिय करने/स्वीकृत करने की तथि	स्वीकृत राशि/संविदा की कल्पित राशि	करेंसी कोड	क्रेडिट प्रकार	अवधि/संविदा की भारित औसत परिपक्वता अवधि

चुकौती बारंबारता	आहरण शक्ति	वर्तमान शेष राशि/ उपयोग की गई सीमा/बाजडार भाव के अनुसार निर्धारण	बकाया पुन: संरचित संविदा की कल्पित राशि	ऋण की समापन/परिपक्वता तिथि	ऋण नवीकरण तिथि	आस्ति वर्गीकरण/अतिदेय दिनों की संख्या(डीपीडी)

आस्ति वर्गीकरण तिथि	अतिदेय राशि/अतिदेय सीमा	अतिदेय बकेट 01(1-30 दिन)	अतिदेय बकेट 02(31-60 दिन)	अतिदेय बकेट 03(61-90 दिन)	अतिदेय बकेट 04(91-180 दिन)	अतिदेय बकेट 05(180 दिन से अधिक)
उच्च क्रेडिट	किस्त राशि	पिछली चिकौती रासी	खाते की स्थिति	खाते की स्थिति की तिथि	बट्टे खाते डाली गई राशि	निपटान राशि
पुनर्रचना करने का मुख्य कारण[4]	एनपीए के रूप में वर्गीकृत संविदा राशि	आस्ति आधारित जमानत कवरेज	गारंटी कवरेज	बैंक की टिप्पणी का कोड	इरादतन चूक की स्थिति	इरादतन चूक के रूप में वर्गीकृत करने की तिथि
दायर वाद की स्थिति	वाद की संदर्भ संख्या	वाद की राशि	वाद दायर करने की तिथि	विवाद आईडी संख्या	लेनदेन प्रकार का कोड	अन्य बीके

यूएफसीई(रकम)				यूएफसीई तिथि			
गारंटीकर्ता	गारंटीकर्ता का डीयूएनएस	गारंटीकर्ता का प्रकार	व्यवसाय श्रेणी	व्यवसाय/उद्योग का प्रकार	गारंटीकर्ता की इकाई का नाम	वैयक्तिक नाम का उपनाम	पूरा नाम

लिंग	कंपनी की पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	जन्मतिथि	पैन	मतदान आईडी	पासपोर्ट संख्या
ड्राइविंग लाइसेंस आईडी	यूआईडी	राशन कार्ड संख्या	सीआईएन	डीआईएन	टीआईएन	सेवाकर संख्या
अन्य आईडी	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/क़स्बा	ज़िला	राज्य/संघशासित क्षेत्र
पिन कोड	देश	मोबाइल संख्या	टेलीफोन क्षेत्र कोड	टेलीफोन संख्या	फैक्स क्षेत्र कोड	फैक्स संख्या
गारंटी लागू करने की तारीख						

ज़मानत	ज़मानत का मूल्य	करेंसी का प्रकार	ज़मानत का प्रकार	ज़मानत का वर्गीकरण	मूल्यांकन तिथि	फिलर

चेक अस्वीकरण	अस्वीकार की तिथि	राशि	लिखत/चेक की संख्या	कितनी बार अस्वीकार हुआ	चेक जारी करने की तिथि	अस्वीकार होने का कारण	फिलर
फाइल बंद		उधारकर्ता खंड की संख्या		क्रेडिट सुविधा खंड की संख्या		फिलर	

टिप्पणी: वाणिज्यिक रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग फ़ील्ड्स में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कैटलॉग मान शामिल किए जाने हैं:

फील्ड का नाम	**अतिरिक्त कैटलॉग मान**
खाते की स्थिति	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • पुनर्रचित और बंद
क्रेडिट का प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • मुद्रा सावधि ऋण • मुद्रा कार्यशील पूंजी

[4] यह फ़ील्ड यह समझने में सहायक होगी कि उधारकर्ता के ऋण का पुनर्गठन बाह्य/बाहरी कारकों जैसे बाहरी वातावरण, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी आदि के कारण हुआ था, या फिर कंपनी/उधारकर्ता विशिष्ट मुद्दों जैसे प्रबंधन में परिवर्तन, प्रवर्तकों का प्रदर्शन आदि के कारण।

	• अस्थायी ओवरड्राफ्ट (लेखा संस्थाओं द्वारा उक्त लेखा में जमा शेष होने के कारण इसे आगामी महीनों में रिपोर्ट नहीं किए जाने पर क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा इसे बंद खाता माना जाना चाहिए)
पुनर्रचना का मुख्य कारण	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • कोविड -19 के कारण पुनर्रचित
स्वीकृति तिथि	रिपोर्टिंग फील्ड अनिवार्य है
स्थान का प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • बंधक संपत्ति का पता
संबंध	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश: • कर्ता (एचयूएफ)
आस्ति वर्गीकरण/अतिदेय दिन	अतिरिक्त कैटालाग मान का हटाना: • विशेष उल्लेख खाते • संदिग्ध
उधारकर्ता का विधिक संगठन	अतिरिक्त कैटलॉग मान का हटाना: • वर्गीकृत नहीं
गतिविधि की श्रेणी	सामान्य सांख्यिकी विवरणी 1 व 2 के अनुसार रिपोर्टिंग की जाए।

प्रपत्र 3: लघु वित्त संस्थाओं(एमएफआई) के लिए समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (स्वयं सहायता समूहों सहित)

यह दस्तावेज़ क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट किए जाने वाले लघु वित्त (माइक्रोफाइनेंस) डेटा के लिए फ़ाइल प्रारूप का विवरण प्रदान करता है। यह प्रारूप 'समूह, उपभोक्ता, खाता' संरचना का अनुसरण करता है – जिसमें कई समूह होते हैं, प्रत्येक समूह में कई उपभोक्ता होते हैं, और यदि किसी उपभोक्ता ने ऋण लिया है तो उसके पास एक खाता होता है। यह अनुशंसा की जाती है कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खातों और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) तथा व्यक्तिगत खातों के लिए सीआईसी के साथ एक अलग फ़ाइल साझा की जाए। इस प्रारूप में व्यक्तियों के नाम पर सभी लघु वित्त उधारों को, उद्देश्य की परवाह किए बिना, शामिल किया जाना चाहिए। डेटा में संबंधित अवधि के दौरान सभी सक्रिय ऋण खातों, उस अवधि के दौरान बंद हुए सभी खातों और उस अवधि के दौरान खोले गए

सभी खातों का विवरण होना चाहिए। डेटा साझा करने की आवृत्ति चाहे कुछ भी हो, डेटा साझा करने का प्रारूप समान ही रहता है।

ए. इनपुट फ़ाइल प्रारूप में खंड

निम्नलिखित सारणी उस डेटा इनपुट फ़ाइल प्रारूप का गठन करने वाले विभिन्न खंडों का वर्णन करती है:

#	खंड	खंड टैग	विकल्प	कितनी बार घटित	फील्ड पृथककर्ता
1	हेडर	एचडीआर	अपेक्षित	फाइल के लिए एक बार	नियत लंबाई पृथकीकरण
2	समूह खंड	जीआरपीसीआरडी	अपेक्षित	पोर्टफोलियो में जितने समूह (केवल स्वयं सहायता समूहों के लिए) उतनी बार घटित होता है।	पृथकीकृत (¬ or ~ or Pipe '|')
3	सदस्य/उपभोक्ता खंड	सीएनएससीआरडी	अपेक्षित	पोर्टफोलियो में जितने ग्राहक हैं, उतनी बार घटित होता है। एक समूह के अंतर्गत कई सदस्य मौजूद होते हैं।	पृथकीकृत (¬ or ~ or Pipe '|')
4	पता खंड	एडीआरसीआरडी	अपेक्षित	प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक या अधिक	(¬ or ~ or Pipe '|')
5	खाता खंड	एसीटीसीआरडी	अपेक्षित	प्रत्येक खाता के लिए एक या अधिक	
6	ट्रेलर	टीआरएल	अपेक्षित	जीवन में केएल एक बार	नियत लंबाई

टिप्पणी : ¬ एएससीआईआई करैक्टर 170.

बी. हेडर खंड

हेडर रिकॉर्ड डेटा प्रस्तुति फ़ाइल का पहला खंड होता है। यह एक अनिवार्य खंड है; प्रत्येक फ़ाइल के लिए केवल एक हेडर खंड रिपोर्ट किया जाता है और इसे फ़ाइल की शुरुआत में रिपोर्ट किया जाता है। इसमें सदस्य संस्था और रिपोर्टिंग तिथि की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है। यह एक निश्चित लंबाई वाला खंड है।

#	फील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	अपेक्षित	एएन	3	हेडर खंड की पहचान करने के लिए 'एचडीआर' होना ही चाहिए
2	प्रस्तुति फाइल का नाम	अपेक्षित	एएन	5	यह प्रस्तुत की जाने वाली फ़ाइल का नाम शामिल करता है, उदाहरण के लिए 'HMMFI' जो CRIF High Mark Microfinance Input File को इंगित करता है।
3	लेआउट वर्शन संख्या	अपेक्षित	एएन	3	यह इनपुट फ़ाइल प्रारूप के संस्करण क्रमांक को दर्शाता है तथा इसमें '3.2' मान अंकित होता है।
4	सदस्य आईडी प्रस्तुत करना	अपेक्षित	एएन	10	इसमें क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा सदस्य संस्था को प्रदत्त विशिष्ट सदस्य पहचान संख्या (आईडी) का समावेश होना अनिवार्य है।
5	सदस्य का नाम प्रस्तुत करना	अपेक्षित	एएन	30	इसमें फ़ाइल प्रस्तुत करने वाली सदस्य संस्था का नाम अंकित होना अनिवार्य है।
6	शाखा आईडी प्रस्तुत करना	विद्यमान होने पर अपेक्षित	एएन	30	विकेंद्रीकृत आंकड़ा प्रस्तुति हेतु सीआरआईएफ उच्च मार्क द्वारा संस्था की शाखा को प्रदत्त विशिष्ट शाखा पहचान संख्यक (आईडी)। यदि यह अनुपलब्ध हो, तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है; तथापि, रिक्त होने की दशा में 30 रिक्त स्थान भरे जाने अनिवार्य हैं।
7	रिपोर्ट की गई तिथि	अपेक्षित	डी	8	इसमें वह तारीख 'जिसकी यथास्थिति में' आंकड़े क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) को प्रस्तुत किए जा रहे हैं, का समावेश होना अनिवार्य है। यदि फ़ाइल में अभिलेख भिन्न-भिन्न तारीखों को अद्यतन किए गए हैं, तो नवीनतम तारीख का प्रयोग किया जाए। यह दिन------माह------वर्ष--- प्रारूप में

					एक वैध कैलेंडर तारीख होनी चाहिए।
8	फाइल सृजन/डेटा निकालने की तिथि/	अपेक्षित	डी	8	फ़ाइल के सृजन की वह तारीख जो 'रिपोर्ट की गई तिथि' क्षेत्र में उल्लिखित तारीख के समकक्ष अथवा उसके पश्चात की होनी अनिवार्य है। यह दिन—माह—वर्ष-- प्रारूप में एक वैध कैलेंडर तारीख होनी चाहिए। उदाहरणार्थ: यदि 'रिपोर्ट की गई तिथि' 31 अगस्त, 2007 है। यदि फ़ाइल का निकलना 7 सितंबर, 2007 को किया गया और इसे 8 सितंबर, 2007 को सीआरआईएफ उच्च मार्क को प्रस्तुत किया गया, तो फ़ाइल सृजन तारीख 7 सितंबर, 2007 होगी, अर्थात 07092007।
9	संगठन डेटा संरचना संकेतक	अपेक्षित	एएन	3	इसमें संगठन का खाता अथवा ग्राहक संरचना का विवरण समाहित होता है। **एसएचजी:** स्वयं सहायता समूह संबंधी आंकड़ों की स्थिति में। **जेएलजी:** संयुक्त दायित्व समूह एवं व्यक्तिगत आंकड़ों की स्थिति में।
10	पासवर्ड	अपेक्षित	एएन	30	इसमें क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा सदस्य संस्था को प्रदत्त कोडबद्ध पासवर्ड का समावेश होना अनिवार्य है।
11	सिस्टम वेंडर पहचानकर्ता	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	एएन	30	यदि विक्रेता प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा हो, तो डेटा प्रस्तुत करने वाली सदस्य संस्था के विक्रेता की पहचान हेतु सहमत विशिष्ट पहचान संख्या का समावेश अनिवार्य है। स्वविकसित प्रणाली की दशा में 'इनहाउस' अंकित किया जाए। यदि यह क्षेत्र रिक्त हो, तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है, किंतु रिक्त होने पर 30 रिक्त स्थान भरना अनिवार्य है।
12	वेंडर सिस्टम वर्शन पहचानकर्ता	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	एएन	10	यदि विक्रेता प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा हो, तो डेटा प्रस्तुत करने हेतु प्रयुक्त प्रणाली के संस्करण का विवरण इसमें समाहित होना

					अनिवार्य है। स्वविकसित (इनहाउस) प्रणाली की दशा में 'इनहाउस' अंकित किया जाए। यदि यह क्षेत्र रिक्त हो, तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है, किंतु रिक्त होने पर 10 रिक्त स्थान भरना अनिवार्य है।
13	भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित		एएन	20	भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित।

सी. समूह खंड (जीआरपीसीआरडी)

समूह खंड डेटा प्रस्तुति फ़ाइल में दूसरा खंड होता है। इसमें समूह की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी होती है (केवल स्वयं सहायता समूहों - एसएचजी के लिए)। यह प्रत्येक समूह के लिए एक बार मौजूद होता है। प्रत्येक समूह के भीतर कई ग्राहक/सदस्य हो सकते हैं। यदि ऋण श्रेणी टी04, टी05, टी06 या टी07 है, तो यह खंड अनिवार्य है।

क्रम	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	सेगमेंट पहचानकर्ता	ए/एन	6	अपेक्षित	सदस्य/ग्राहक सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें मान 'जीआरपीसीआरडी' होना अनिवार्य है।
2	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	अपेक्षित	सदस्य संस्था द्वारा समूह की विशिष्ट पहचान करने के लिए प्रयुक्त अद्वितीय समूह पहचानकर्ता।
3	समूह का नाम	ए/एन	200	अपेक्षित	स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नाम।
4	समूह ऋण खाता संख्या	ए/एन	30	अपेक्षित	बैंक के अभिलेखों के अनुसार समूह की ऋण खाता संख्या।
5	स्वीकृत राशि (रु. में)	एन	9	अपेक्षित	इस ऋण के लिए कुल स्वीकृत राशि (रुपयों में)।
6	बकाया शेष (रु. में)	एन	9	अपेक्षित	इस ऋण का कुल बकाया मूलधन (रुपयों में)।
7	खोले जाने/स्वीकृत होने की तिथि	डी	8	अपेक्षित	दिन—माह--- वर्ष-- प्रारूप में एक मान्य कैलेंडर तिथि।
8	बंद होने की तिथि (यदि बंद हो)	डी	8	अपेक्षित	दिन—माह--- वर्ष-- प्रारूप में एक मान्य कैलेंडर तिथि।

क्रम	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
9	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	उपस्थित होने पर अपेक्षित	दिन—माह--- वर्ष-- प्रारूप में एक मान्य कैलेंडर तिथि।
10	किश्तों की संख्या	एन	3	उपस्थित होने पर अपेक्षित	स्वीकृति के समय मूल किश्तों की संख्या।
11	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	अपेक्षित	सूची: F01 - साप्ताहिक F02 - पाक्षिक (हर दो सप्ताह में) F03 - मासिक F04 - द्विमासिक (हर दो महीने में) F05 - तिमाही F06 - अर्ध-वार्षिक F07 - वार्षिक F08 - एकल भुगतान ऋण (बुलेट / बैलून) F10 - अन्य
12	किश्त राशि	एन	9	अपेक्षित	ऋण की किश्त राशि (रुपये में)
13	बकाया राशि (रुपये में)	एन	9	अपेक्षित	वह राशि जो भुगतान की तारीख के बाद देय है
14	डीपीडी (देय होने के बाद के दिन)	ए/एन	3	अपेक्षित	सूची: 000 = शून्य बकाया भुगतान (चालू खाता) सकारात्मक शेष के साथ 001 से 999 = देय होने के बाद के दिनों की संख्या। यदि कोई खाता 999 दिनों से अधिक का है, तो उसे 999 अंकित करें XXX = इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है
15	ऋण चक्र आईडी	एन	3	उपस्थित होने पर अपेक्षित	समूह का नवीनीकरण चक्र संख्या
16	ऋण प्रकार (अवधि या नकद जमा)	ए/एन	10	अपेक्षित	C01 - सावधि ऋण C02 - नकद जमा
17	बट्टा खाते की गई राशि (रुपये में)	एन	9	उपस्थित होने पर अपेक्षित	-

क्रम	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
18	बट्टा खाते की जाने की तारीख (यदि बट्टा खाता किया गया हो)	डी	8	उपस्थित होने पर अपेक्षित	-
19	बट्टा खाते करने का कारण (यदि बट्टा खाता किया गया हो)	ए/एन	20	उपस्थित होने पर अपेक्षित	सूची: X01 - पहली किश्त में चूक X02 - मृत्यु X03 - जानबूझकर चूक की स्थिति X04 - वाद दायर, जानबूझकर चूक की स्थिति X09 - बिना टैग वाला (Untagged) X10 - लागू नहीं
20	समूह का पत्राचार पता	ए/एन	200	उपस्थित होने पर अपेक्षित	समूह का पत्राचार पता - पता प्रमाण दस्तावेज के अनुसार (नंबर, गाँव/तालुक, लैंडमार्क, जिला)
21	राज्य कोड (समूह का पत्राचार पता)	एन	2	यदि पता प्रदान किया गया है तो अपेक्षित	कैटलॉग के तहत परिभाषित राज्य कोड होना चाहिए
22	पिन कोड (समूह का पत्राचार पता)	एन	10	यदि पता प्रदान किया गया है तो अपेक्षित	मान्य 6 अंकों का पिन कोड
23	दूरभाष नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	उपस्थित होने पर अपेक्षित	दूरभाष/संपर्क जानकारी विवरण सूची: P01 - आवासीय P02 - कंपनी P03 - मोबाइल P04 - स्थायी P07 - अन्य P08 - बिना टैग वाला (Untagged)
24	समूह का दूरभाष नंबर 1	ए/एन	15	उपस्थित होने पर अनिवार्य	समूह का दूरभाष नंबर (संपर्क)
25	समूह का बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	50	अपेक्षित	वह बैंक का नाम जहाँ समूह का बचत बैंक खाता है
26	समूह का बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	अपेक्षित	आईएफएससी कोड (वरीयता) या उस बैंक शाखा का नाम जहाँ समूह का बचत बैंक खाता है

क्रम	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
27	समूह का बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	अपेक्षित	समूह के बचत बैंक खाते की खाता संख्या
28	समूह का बैंक खाता - खाते में शेष राशि	एन	10	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	समूह के बचत बैंक खाते में शेष राशि (रुपयों में)
29	गठन की पहली तारीख	डी	8	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	वह तारीख जब समूह का गठन किया गया था
30	ऋण से जुड़ने की पहली तारीख	डी	8	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	वह तारीख जब समूह को पहली बार ऋण से जोड़ा गया था
31	समूह पहचान संख्या (सरकारी)	ए/एन	30	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	सरकार द्वारा रिकॉर्ड किया गया समूह का पहचान संख्या
32	सरकारी कार्यक्रम से जुड़ाव	ए/एन	20	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	सूची: U01 - NRLM U02 - NULM U03 - SRLM U04 - MEPMA U99 - अन्य (Others)
33	एसएचपीआई/एनजीओ पहचान संख्या	ए/एन	30	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	सदस्य संस्था द्वारा रिकॉर्ड किया गया एनजीओ/एसएचपीआई की पहचान संख्या
34	एसएचपीआई/एनजीओ का नाम	ए/एन	100	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	समूह गठन में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई का नाम
35	एसएचपीआई/एनजीओ अधिकारी का नाम	ए/एन	100	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	समूह गठन/लिंकेज में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई के कर्मचारी का नाम
36	एसएचपीआई/एनजीओ का पता (राज्य और पिन कोड सहित)	ए/एन	100	यदि उपलब्ध हो तो अपेक्षित	समूह गठन में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई का पता (गली, गाँव/मोहल्ला, तालुक, जिला, राज्य, पिन कोड)

डी. सदस्य/उपभोक्ता खंड (सीएनएससीआरडी)

सदस्य/उपभोक्ता खंड डेटा प्रस्तुति फ़ाइल में तीसरा खंड है। इसमें ग्राहक की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, और पहचान संख्याएं (जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार (यूआईडी), ड्राइविंग लाइसेंस आदि) शामिल होती हैं। यह प्रत्येक ग्राहक के लिए एक बार मौजूद होता है। समूह ऋणों के मामले में, 'ग्राहक' से तात्पर्य समूह के भीतर के व्यक्तिगत सदस्य से है।

यह एक सर्वोत्तम प्रथा है कि व्यक्तिगत सदस्य के प्रमुख जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, पिता/पति का नाम, आयु, जन्म तिथि) को किसी एक मानक 'अपने ग्राहक को जानिए' केवाईसी) पहचानकर्ता से हूबहू लिया जाए, वरीयक रूप से यूआईडी/आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड या मनरेगा (एमएनआरईजीए) जॉब कार्ड से।

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	अपेक्षित	सदस्य/उपभोक्ता खंड की पहचान करने के लिए इसमें 'सीएनएससीआरडी' मान होना अनिवार्य है।
2	सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	35	अपेक्षित	सदस्य संस्था द्वारा प्रयुक्त ग्राहक की अद्वितीय पहचान संख्या।
3	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	उस सदस्य संस्था का अद्वितीय शाखा कोड जहाँ ग्राहक मूल रूप से पंजीकृत हुआ था। यदि उपलब्ध न हो तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
4	केंद्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	उस सदस्य संस्था का अद्वितीय केंद्र कोड जहाँ ग्राहक मूल रूप से पंजीकृत हुआ था। यदि उपलब्ध न हो तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
5	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	उस सदस्य संस्था द्वारा प्रयुक्त अद्वितीय समूह पहचानकर्ता जहाँ ग्राहक मूल रूप से पंजीकृत हुआ था। अथवा यहाँ समूह का नाम प्रदान किया जाए। यदि दोनों उपलब्ध हों, तो समूह आईडी^समूह नाम

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					(^ विभाजक के रूप में)। यह फ़ील्ड अनिवार्य है यदि ऋण श्रेणी T01 या T02 या T04 या T05 या T06 या T07 है।
6	सदस्य नाम 1	ए/एन	100	अपेक्षित	ग्राहक का नाम (प्रथम नाम)।
7	सदस्य नाम 2	ए/एन	50	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ग्राहक का नाम (मध्य नाम)।
8	सदस्य नाम 3	ए/एन	50	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ग्राहक का नाम (अंतिम नाम)।
9	सदस्य का वैकल्पिक नाम	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि ग्राहक का कोई 'उपनाम' या विवाह पूर्व का नाम दर्ज किया गया हो।
10	सदस्य जन्म तिथि	डी	8	अपेक्षित	ग्राहक की जन्म तिथि। दिन—माह—वर्ष-- प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि। यदि आयु और 'जिस दिनांक------ तक आयु' दर्ज की गई हो, तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
11	सदस्य आयु	एन	3	अपेक्षित	यदि जन्म तिथि के स्थान पर आयु दर्ज की गई है, तो सदस्यता के समय जैसी आयु दर्ज की गई हो। यदि जन्म तिथि दर्ज की गई हो, तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
12	जिस दिनांक तक सदस्य की आयु है	D	8	अपेक्षित	वह दिनांक जिस पर आयु दर्ज की गई थी - वर्तमान आयु की पहचान करने के लिए। दिन—माह—वर्ष-- प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि। यदि जन्म तिथि दर्ज की गई हो, तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
13	सदस्य लिंग प्रकार)	ए/एन	1	अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: F - महिला M – पुरुष T - तृतीय/ट्रांसजेंडर
14	वैवाहिक स्थिति प्रकार	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: M01 - विवाहित M02 - अलग M03- तलाकशुदा M04 - विधवा/विधुर M05 - अविवाहित M06 - अनचिह्नित यदि उपलब्ध न हो तो इसे रिक्त छोड़ा जा सकता है।
15	मुख्य व्यक्ति का नाम*	ए/एन	100	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	संरक्षक का नाम। या तो मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामांकित व्यक्ति का विवरण भरा जाना आवश्यक है।
16	मुख्य व्यक्ति का संबंध	ए/एन	3	जब मुख्य व्यक्ति का नाम भरा गया हो तो अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: K01 – पिता K02 - पति K03- माता K04 - पुत्र K05 - पुत्री K06 - पत्नी K15 – अन्य
17	सदस्य संबंधी का नाम 1*	ए/एन	100	अपेक्षित	संबंधी का नाम। या तो मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामांकित व्यक्ति का विवरण भरा जाना आवश्यक है।
18	सदस्य संबंध प्रकार 1	ए/एन	3	जब सदस्य संबंधी का नाम 1 भरा गया	सूचीबद्ध मान: K01 – पिता K02 - पति K03- माता K04 - पुत्र

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
				हो तो अपेक्षित	K05 - पुत्री K06 - पत्नी K15 - अन्य
19	सदस्य संबंधी का नाम 2*	ए/एन	100	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(संबंधी का नाम)
20	सदस्य संबंध प्रकार 2	ए/एन	3	जब सदस्य संबंधी का नाम 2 भरा गया हो तो अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: K01 – पिता K02 - पति K03- माता K04 - पुत्र K05 - पुत्री K06 - पत्नी K15 – अन्य
21	सदस्य संबंधी का नाम 3*	ए/एन	100	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(संबंधी का नाम)
22	सदस्य संबंध प्रकार 3	ए/एन	3	जब सदस्य संबंधी का नाम 3 भरा गया हो तो अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: K01 - पिता K02 - पति K03- माता) K04 - पुत्र K05 - पुत्री K06 - पत्नी K15 - अन्य
23	सदस्य संबंधी का नाम 4*	ए/एन	100	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(संबंधी का नाम)
24	सदस्य संबंध प्रकार 4	ए/एन	3	जब सदस्य संबंधी का नाम 4 भरा गया हो तो अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: K01 - पिता K02 - पति K03- माता) K04 - पुत्र K05 - पुत्री

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					K06 - पत्नी K15 - अन्य
25	नामांकित व्यक्ति का नाम*	ए/एन	100	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि परिभाषित हो तो बीमा प्रयोजनों के लिए नामांकित व्यक्ति। या तो मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामांकित व्यक्ति का विवरण भरा जाना आवश्यक है।
26	नामांकित व्यक्ति का संबंध	ए/एन	3	जब नामांकित व्यक्ति का नाम भरा गया हो तो अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: K01 - पिता K02 - पति K03- माता) K04 - पुत्र K05 - पुत्री K06 - पत्नी K15 - अन्य
27	नामांकित व्यक्ति की आयु	N	3	जब नामांकित व्यक्ति का नाम भरा गया हो तो अपेक्षित	आज की तारीख के अनुसार वर्षों में।
28	मतदाता पहचान पत्र*	ए/एन	20	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(मतदाता पहचान संख्या)
29	यूआईडी*	ए/एन	40	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	आधार
30	पैन*	ए/एन	15	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(स्थायी खाता संख्या)

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
31	राशन कार्ड*	ए/एन	20	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(राशन कार्ड संख्या)
32	सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार विवरण	ए/एन	20	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यह फ़ील्ड नरेगा आईडी के लिए आरक्षित है। यदि नरेगा आईडी दर्ज की गई है, तो इस फ़ील्ड में 'नरेगा' दर्ज करें। यदि सीकेवाईसी का मान उपलब्ध है, तो 'सीकेवाईसी' दर्ज किया जाए।
33	सदस्य अन्य आईडी 1*	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि नरेगा आईडी दर्ज की गई है, तो यहाँ पहचान संख्या दर्ज की जाए। सीकेवाईसी का मान दर्ज किया जाए।
34	सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार विवरण	ए/एन	20	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई है, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
35	सदस्य अन्य आईडी 2*	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई है, तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी।
36	अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	20	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई है, तो उस आईडी के बारे में जानकारी।
37	अन्य आईडी 3 मान*	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि कोई अन्य आईडी दर्ज की गई है, तो उसका मान/संख्या।
38	टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	टेलीफोन/संपर्क जानकारी विवरण। सूचीबद्ध मान: P01- आवास P02- कंपनी P03- मोबाइल P04- स्थायी

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					P07- अन्य P08- अचिह्नित
39	सदस्य टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	15	अपेक्षित	(संपर्क नंबर)
40	टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: P01- आवास P02- कंपनी P03- मोबाइल P04- स्थायी P07- अन्य P08- अचिह्नित
41	सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	15	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	(वैकल्पिक संपर्क नंबर)
42	सदस्य की शैक्षणिक योग्यता	ए/एन	3	अपेक्षित	ग्राहक (व्यक्तिगत सदस्य) की शैक्षणिक योग्यता। सूचीबद्ध मान: Y01: निरक्षर Y02: कक्षा 5 उत्तीर्ण Y03: कक्षा 8 उत्तीर्ण Y04: कक्षा 10 उत्तीर्ण Y05: कक्षा 10 से ऊपर
43	संपत्ति स्वामित्व संकेतक/गरीबी सूचकांक	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यदि ग्राहक के पास कोई संपत्ति है, तो 'Y' चिह्नित करें। सूचीबद्ध मान: Y- हाँ (Yes) N- नहीं (No) यदि गरीबी सूचकांक उपलब्ध है, तो उसे सीधे प्रदान किया जाना चाहिए। गरीबी सूचकांक (यदि सदस्य संस्था द्वारा आंतरिक रूप से गणना की गई हो) या बीपीएल आदि जैसे संबंधित विवरण प्रदान करें।

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
44	आश्रितों की संख्या	N	2	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या।
45	बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	50	अपेक्षित	उस बैंक का नाम जहाँ ग्राहक का बचत बैंक खाता है।
46	बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	अपेक्षित	आईएफएससी कोड (वरीयता) या उस बैंक शाखा का नाम जहाँ ग्राहक का बचत बैंक खाता है।
47	बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	अपेक्षित	ग्राहक के बचत बैंक खाते की संख्या।
48	व्यवसाय	ए/एन	50	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ग्राहक का व्यवसाय/पेशा। सूचीबद्ध मान: Z01- गृहिणी Z02- भूमिहीन मजदूर Z03- सीमांत किसान Z04- छोटे किसान Z05- गैर-कृषि Z06- अन्य
49	कुल मासिक पारिवारिक आय	N	9	अपेक्षित	रुपयों में, कोई दशमलव नहीं। **नोट:** इस फ़ील्ड में डेटा की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि या जमा न करने से रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिया जाएगा।
50	मासिक पारिवारिक व्यय	N	9	अपेक्षित	रुपयों में, कोई दशमलव नहीं।
51	सदस्य का धर्म	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ग्राहक का धर्म। सूचीबद्ध मान: R01 - हिंदू R02 - मुस्लिम

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					R03 - ईसाई R04 - सिख R05 - बौद्ध R06 - जैन R07 - बहाई R08 - अन्य R09 - धर्म नहीं बताया गया
52	सदस्य की जाति या सामाजिक स्तर	ए/एन	30	अपेक्षित	ग्राहक की जाति। सूचीबद्ध मान: V01 – अनुसूचित जाति V02 - अनुसूचित जनजाति V03 - अन्य पिछड़ा वर्ग V04 - विमुक्त जाति और भटकती जनजातियाँ V05 - सामान्य V08 - अन्य V09 – अचिह्नित
53	सदस्य की भूमिका	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	समूह के भीतर ग्राहक की भूमिका का संकेतक। सूचीबद्ध मान: L01- नेता/अध्यक्ष/पदाधिकारी L02- सहयोगी/ सचिव L03- सदस्य L04- अचिह्नित
54	केंद्र नेता संकेतक	ए/एन	1	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	क्या ग्राहक एक केंद्र नेता है? सूचीबद्ध मान: Y- हाँ N- नहीं U- अचिह्नित
55	सदस्य की स्थिति	ए/एन	3	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	समूह के भीतर सदस्य की संलग्नता स्थिति का संकेतक। सूचीबद्ध मान: W01- सक्रिय (ऋणी सदस्य) W02- निष्क्रिय/सुप्त (गैर-ऋणी सदस्य) W03- बाहर निकल गया

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					W04- अचिह्नित

* संबंध विवरण (मुख्य व्यक्ति का नाम, सदस्य संबंध नाम, नामित व्यक्ति का नाम) में से किसी एक या पहचान पत्र केवाईसीआईडी) जैसे मतदता पहचान पत्र, यूआईडी/आधार, राशन कार्ड, पैन या अन्य पहचान पत्रों में से किसी एक का होना अनिवार्य है। लघु वित्त ग्राहकों के लिए, यूआईडी/आधार, मतदता पहचान पत्र, राशन कार्ड संख्या और नरेगा आईडी सबसे अधिक प्रयुक्त पहचानकर्ता हैं।

ई. पता खंड (एडीआरसीआरडी)

पता खंड डेटा प्रस्तुति फ़ाइल में चौथा खंड है। इसमें ग्राहक के पते - स्थायी पता और वर्तमान पता, राज्य कोड और पिन कोड के साथ - शामिल होते हैं। प्रत्येक सदस्य खंड के लिए एक पता खंड होना अनिवार्य है।

क्र.	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
56	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	अपेक्षित	पता खंड की पहचान करने के लिए इसमें 'एडीआरसीआरडी' मान होना अनिवार्य है।
57	सदस्य का स्थायी पता	ए/एन	200	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ग्राहक का स्थायी पता - पता सत्यापन दस्तावेज़ के अनुसार।
58	राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	2	यदि स्थायी पता दिया गया है तो अपेक्षित	यह कोड कैटलॉग में परिभाषित राज्य कोड के अनुसार होना चाहिए।
59	पिन कोड (स्थायी पता)	एन	10	यदि स्थायी पता दिया गया है तो अपेक्षित	मान्य 6-अंकीय पिन कोड।
60	सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	200	अपेक्षित	ग्राहक का वर्तमान या पत्राचार का पता - यदि वे स्थायी पते पर निवास नहीं कर रहे हैं। यदि केवल 1 पता उपलब्ध है, तो उसे वर्तमान पते के रूप में दर्ज करें।
61	राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	2	अपेक्षित	यह कोड कैटलॉग में परिभाषित राज्य कोड के अनुसार होना चाहिए।
62	पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	10	अपेक्षित	मान्य 6-अंकीय पिन कोड।
63	ई-मेल आईडी	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	

नोट: सलाह दी जाती है कि पते को किसी एक जानें पहचानें (केवाईसी) पहचानकर्ता से हूबहू दर्ज किया जाए।

एफ. खाता खंड (एसीटीसीआरडी)

खाता खंड डेटा प्रस्तुति फ़ाइल के भीतर पांचवां खंड है। इसमें खाते से संबंधित वित्तीय जानकारी शामिल होती है, जैसे खाता संख्या, ऋण उत्पाद का प्रकार, मूल और वर्तमान शर्तें तथा चुकौती की जानकारी। एक ग्राहक खंड के लिए एक से अधिक खाता खंड मौजूद हो सकते हैं।

क्र.	फील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
64	खंड पहचानकर्ता	ए/एन	6	अपेक्षित	खाता खंड की पहचान करने के लिए इसमें "एसीटीसीआरडी" मान होना अनिवार्य है।
65	विशिष्ट खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	35	अपेक्षित	यह फ़ील्ड खाता संख्या बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होगी; इसमें ग्राहक आईडी हो सकती है। जानकारी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रत्येक प्रस्तुति में यह फ़ील्ड सुसंगत होना चाहिए। ऋण की अवधि के दौरान यदि शाखा विभाजन या शाखा विलय के कारण खाता संख्या बदल जाती है, तो मूल ऋण खाता संख्या यहाँ दर्शाई जानी चाहिए।
66	खाता संख्या	ए/एन	35	अपेक्षित	ऋण खाते की खाता संख्या। यदि ऋण की अवधि के दौरान कोई शाखा विभाजन या संयोजन नहीं हुआ है, तो यह पिछले फ़ील्ड (अद्वितीय खाता संदर्भ संख्या) के समान होगी।
67	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	वह अद्वितीय शाखा कोड जहाँ ऋण खाता वर्तमान में रखा गया है। यदि उपलब्ध न हो तो खाली छोड़ा जा सकता है।
68	केंद्र/केन्द्र पहचानकर्ता	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	वह अद्वितीय केंद्र कोड जहाँ ऋण खाता वर्तमान में रखा गया है। यदि उपलब्ध न हो तो खाली छोड़ा जा सकता है।
69	ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी का कर्मचारी कोड यदि उपलब्ध न हो तो खाली छोड़ा जा सकता है।
70	खाता जानकारी की तारीख	डी	8	अपेक्षित	वह तारीख जिस दिन खाता अंतिम बार अद्यतन किया गया था।

क्र.	फील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					दिन-----माह-----वर्ष----- प्रारूप में मान्य कैलेंडर तारीख।
71	ऋण श्रेणी[5]	ए/एन	3	अपेक्षित	सूची : T01 – जेएलजी समूह T02 – जेएलजी व्यक्तिगत T03 - व्यक्तिगत T04 - स्वयं सहायता समूह T05 - स्वयं सहायता समूह व्यक्तिगत T06 - स्वयं सहायता समूह - सरकारी T07 - स्वयं सहायता समूह - अंतः-समूह T08 - अन्य
72	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	यह फ़ील्ड तब अनिवार्य है यदि ऋण श्रेणी T01, T02, T04, T05, T06 या T07 है। यह सदस्य संस्था द्वारा आवंटित अद्वितीय समूह कोड है। यहाँ समूह का नाम प्रदान किया जाना है। यदि दोनों (कोड और नाम) उपलब्ध हैं, तो इसे "समूह आईडी^समूह का नाम" के रूप में प्रदान करें।
73	ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	30	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	सदस्य संस्था के साथ ग्राहक का नवीनीकरण चक्र संख्या ।
74	ऋण का उद्देश्य	ए/एन	20	अपेक्षित	ऋण का उद्देश्य।
75	खाता स्थिति	ए/एन	3	अपेक्षित	सूची : S01 - ऋण प्रस्तुत S02 - ऋण स्वीकृत - अभी तक वितरित नहीं S03 - ऋण अस्वीकृत S04 - चालू S05 - बकाया/अनियमित S06 - बट्टा खाते में डाला गया S07 - खाता बंद S08 - कोविड-19 के कारण पुनर्गठित

[5] जेएलजी-व्यक्तिगत: जेएलजी ऋण जहां उधारी का ट्रैकिंग व्यक्तिगत स्तर पर किया जा रहा है। जेएलजी-समूह: जेएलजी ऋण जहां उधारी का ट्रैकिंग समूह स्तर पर किया जा रहा है। व्यक्तिगत: व्यक्तिगत लघु वित्त ऋण (न तो जेएलजी और न ही एसएचजी) – इस ऋण को या तो इस प्रारूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए या उपभोक्ता डेटा प्रारूप में, लेकिन दोनों प्रारूपों में नहीं। एसएचजी-व्यक्तिगत: जहां उधारी की राशि का ट्रैकिंग व्यक्तिगत स्तर पर किया जा रहा है। एसएचजी-समूह: जहां उधार दी गई राशि का ट्रैकिंग केवल समूह स्तर पर किया जा रहा है। एसएचजी-समूह-सरकारी: एसएचजी-समूह जैसा ही, लेकिन किसी सरकारी कार्यक्रम से लिंक है। एसएचजी-समूह-अंतर्गत: समूह जैसा ही, जिसमें समूह के भीतर की उधारी शामिल है।

क्र.	फील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					S09 - पुनर्गठित और बंद S10 - निपटारा किया गया S11 - बट्टा खाते में डाले जाने के बाद निपटारा (S12 - बट्टा खाते में डाले जाने के बाद बंद S15 - रद्द किया गया
76	आवेदन की तारीख	डी	8	उपलब्ध होने पर अपेक्षित	दिन---माह----वर्ष---- प्रारूप में मान्य कैलेंडर तारीख।
77	स्वीकृति तिथि	डी	8	विद्यमान होने पर अपेक्षित	दिन---माह----वर्ष----- प्रारूप में वैध कैलेंडर तिथि
78	खोलने/संवितरित करने की तिथि	डी	8	अपेक्षित	दिन---माह----वर्ष----- प्रारूप में वैध कैलेंडर तिथि
79	तिथि समाप्त(यदि समाप्त हो गई हो)	डी	8	विद्यमान होने पर अपेक्षित	दिन---माह----वर्ष----- प्रारूप में वैध कैलेंडर तिथि
80	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	विद्यमान होने पर अपेक्षित	दिन---माह----वर्ष----- प्रारूप में वैध कैलेंडर तिथि
81	राशि के लिए आवेदित	एन	9	विद्यमान होने पर अपेक्षित	राशि आवेदन में मांगी गई है।
82	ऋण की स्वीकत राशि	एन	9	अपेक्षित	इसे संवितरित कुल राशि के अंतर्गत दुबारा दिया जा सकता है।(रुपए में)
83	संवितरित कुल राशि(रुपए)	एन	9	अपेक्षित	राशि संवितरित
84	कुल किस्त की संख्या	एन	3	अपेक्षित	वितरण के समय किश्तों की मूल संख्या इस फ़ील्ड में त्रुटिपूर्ण डेटा भरने या डेटा जमा न करने पर रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिया जाएगा।
85	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: F01 – साप्ताहिक F02 – पाक्षिक (दो साप्ताहिक) F03 – मासिक F04 – द्विमासिक F05 – तिमाही F06 – अर्धवार्षिक F07 – वार्षिक F08 – एकल भुगतान ऋण (बुलेट / बलून) F10 – अन्य इस फ़ील्ड में त्रुटिपूर्ण डेटा भरने या डेटा जमा न करने पर रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिया जाएगा।
86	देय न्यूनतम राशि/किस्त की राशि	एन	9	अपेक्षित	ऋण की किश्त रकम इस फ़ील्ड में त्रुटिपूर्ण डेटा भरने या डेटा जमा न करने पर रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिया जाएगा।

87	वर्तमान शेष राशि(रुपए)	एन	9	अपेक्षित	ऋण पर केवल मूल बकाया राशि
88	अतिदेय राशि(रुपए)	एन	9	अपेक्षित	राशि जो पूर्व में अतिदेय थी उसके भुगतान की तारीख
89	डीपीडी(कितने दिन पूर्व अतिदेय	ए/एन	3	अपेक्षित	सूचीबद्ध मान: 000 = शून्य अतिदेय भुगतान (चालू खाता) जिसमें शेष राशि धनात्मक हो। 001 से 999 = अतिदेय दिनों की संख्या। यदि किसी खाते की अतिदेय अवधि 999 दिनों से अधिक है, तो उसे 999 अंकित करें। XXX = इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है।
90	बट्टे खाते डाली गई राशि	एन	9	विद्यमान होने पर अपेक्षित	यदि खाते की स्थिति एस06 है तो अपेक्षित है।
91	बट्टे खाते डाले जाने की तारीख(यदि बट्टे खाते डाला गया हो)	डी	8	विद्यमान होने पर अपेक्षित	यदि खाते की स्थिति एस06 है तो अपेक्षित है। वैध कैलेंडर तिथि दिन---माह----वर्ष---- के प्रारूप में
92	बट्टे खाते डाले जाने का कारण(यदि बट्टे खाते डाला गया हो)	ए/एन	20	बट्टे खाते डाले जाने की	सूचीबद्ध मान: (यदि खाते की स्थिति S06 है, तो यह अनिवार्य है) X01 – प्रथम भुगतान चूक X02 – मृत्यु X03 – इरादतन चूक की स्थिति X04 – वाद दायर किया गया, इरादतन चूक की स्थिति X09 – अचिह्नित X10 – लागू नहीं
93	आयोजित बैठकों की संख्या	एन	3	विद्यमान होने पर अपेक्षित	ऋण वितरण की तारीख से अब तक आयोजित केंद्र बैठकों की कुल संख्या
94	कितनी बैठकें नहीं हो पाईं	एन	3	विद्यमान होने पर अपेक्षित	उपर्युक्त में से उन केंद्र बैठकों की संख्या जिनमें ग्राहक उपस्थित नहीं हुआ
95	बीमा संकेतक	ए/एन	1	विद्यमान होने पर अपेक्षित	सूची: Y - हाँ N - नहीं
96	बीमा का प्रकार	ए/एन	3	विद्यमान होने पर अपेक्षित	सूची: L01 - जीवन बीमा L02 - ऋण बीमा L03 - स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा

					L04 - संपत्ति बीमा L05 - देयता बीमा L10 - अन्य
97	बीमा राशि / कवरेज राशि	एन	10	विद्यमान होने पर अपेक्षित	बीमा के लिए बीमाकृत राशि
98	सप्ताह में सहमत बैठक का दिन	ए/एन	3	विद्यमान होने पर अपेक्षित	सूची : MON - सोमवार TUE - मंगलवार WED - बुधवार THU - गुरुवार FRI - शुक्रवार SAT - शनिवार SUN - रविवार
99	सहमत बैठक के दिन का समय	ए/एन	5	विद्यमान होने पर अपेक्षित	घंटे----मिनट-----प्रारूप में होना चाहिए
100	प्रतिरूप	ए/एन	30	विद्यमान होने पर अपेक्षित	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित.

जी. ट्रेलर खंड(टीआरएल)

ट्रेलर रिकॉर्ड, क्रेडिट रिपोर्टिंग फ़ाइल का अंतिम खंड होता है। यह एक अनिवार्य खंड है, जो प्रत्येक फ़ाइल में केवल एक बार प्रकट होता है और फ़ाइल के समाप्ति को इंगित करता है। यह एक निश्चित लंबाई वाला खंड है।

क्रम	फ़ील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
1	खंड पहचानकर्ता	अपेक्षित	ए/एन	3	ट्रेलर खंड की पहचान करने के लिए इसमें 'टीआरएल' मान होना अनिवार्य है।
2	लेआउट वर्जन नंबर	अपेक्षित	ए/एन	3	इनपुट फ़ाइल फॉर्मेट का वर्जन नंबर दर्शाता है। इसमें '3.0' मान होता है।
3	प्रस्तुतकर्ता सदस्य आईडी	अपेक्षित	ए/एन	10	इसमें सीआरआईएफ उच्च मार्क द्वारा मेंबर संस्था को आवंटित किया गया विशिष्ट सदस्य आईडी होना अनिवार्य है।
4	भविष्य में प्रयोग के लिए आरक्षित	-	ए/एन	20	भविष्य में प्रयोग के लिए आरक्षित।

शब्दावली

शब्द	अर्थ

डी	तारीख
एन	अंक में डेटा
ए/एन	अक्षर व अंक में

कैटलॉग

2: राज्य

कोड	विवरण	कोड	विवरण
AN	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	LD	लक्षद्वीप
AP	आंध्र प्रदेश	MH	मध्य प्रदेश
AR	अरुणाचल प्रदेश	ML	महाराष्ट्र
AS	असम	MN	मणिपुर
BR	बिहार	MP	मेघालय
CG	चंडीगढ़	MZ	मिजोरम
CH	छत्तीसगढ़	NL	नागालैंड
DD	दादरा और नगर हवेली	OR	ओडिशा (उड़ीसा)
DL	दिल्ली	PB	पंजाब
DN	दमन और दीव	PY	पुदुच्चेरी
GA	गोवा	RJ	राजस्थान
GJ	गुजरात	SK	सिक्किम
HP	हरियाणा	TN	तमिलनाडु
HR	हिमाचल प्रदेश	TR	त्रिपुरा

कोड	विवरण	कोड	विवरण
JH	जम्मू और कश्मीर	TS	तेलंगाना राज्य
JK	झारखंड	UK (पूर्व में UA)	उत्तराखंड
KA	कर्नाटक	UP	उत्तर प्रदेश
KL	केरल	WB	पश्चिम बंगाल

नमूना ढांचा
हेडर खंड

फील्ड	विवरण
खंड पहचानकर्ता	HDR
प्रस्तुति फ़ाइल का नाम	HMMFI
लेआउट संस्करण संख्या	3.2
प्रस्तुत करने वाले सदस्य की आईडी	XXXXXXXXXX
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
प्रस्तुत करने वाली शाखा की आईडी	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
रिपोर्टिंग तिथि	31032016
फ़ाइल निर्माण तिथि/ निष्कर्षण तिथि	12042016
संगठन सदस्य संरचना संकेतक	XXX
पासवर्ड	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
सिस्टम विक्रेता पहचानकर्ता	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
विक्रेता सिस्टम संस्करण पहचानकर्ता	XXXXXXXXX

फील्ड	विवरण
भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ट्रेलर खंड

फील्ड	विवरण
खंड पहचानकर्ता	TRL
लेआउट संस्करण संख्या	3.0
प्रस्तुत करने वाले सदस्य की आईडी	XXXXXXXXXX
भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

डेटा खंड

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	CNSCRD
सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	12345678
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केंद्र पहचानकर्ता	ए/एन	039003
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^INDIRA SHG
सदस्य का नाम 1	ए/एन	ANITA JAYANT NATH

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
सदस्य का नाम 2	ए/एन	
सदस्य का नाम 3	ए/एन	
सदस्य का वैकल्पिक नाम	ए/एन	
सदस्य का जन्म तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	01011975
सदस्य की आयु	एन	39
निश्चित तिथि तक सदस्य की आयु	(दिन---माह----वर्ष----)	31012015
सदस्य लिंग प्रकार	ए/एन	F (महिला)
वैवाहिक स्थिति प्रकार	ए/एन	M01
मुख्य व्यक्ति का नाम	ए/एन	JAYANT NATH
मुख्य व्यक्ति का संबंध	ए/एन	K02
सदस्य संबंध नाम 1 से 4	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार 1 से 4	ए/एन	
नामांकित का नाम	ए/एन	JAYANT NATH
नामांकित का संबंध	ए/एन	K02
नामांकित की आयु	एन	
मतदाता पहचान पत्र	ए/एन	
आधार संख्या	ए/एन	

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
पैन	ए/एन	
राशन कार्ड	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार विवरण	ए/एन	VOTER ID
सदस्य अन्य आईडी 1	ए/एन	Value1
सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार विवरण	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 2	ए/एन	
अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	
अन्य आईडी 3 मान	ए/एन	
टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	P03
सदस्य टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	8754698XXX
टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	
सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	
सदस्य की शैक्षणिक योग्यता	ए/एन	
आस्ति स्वामित्व संकेतक/ गरीबी सूचकांक	ए/एन	
आश्रितों की संख्या	एन	2
बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	
बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	
व्यवसाय	ए/एन	
कुल मासिक पारिवारिक आय	एन	
मासिक पारिवारिक व्यय	एन	
सदस्य का धर्म	ए/एन	R08
सदस्य की जाति	ए/एन	
सदस्य की भूमिका	ए/एन	L01
केंद्र नेता संकेतक	ए/एन	Y
सदस्य की स्थिति	ए/एन	W01
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	ADRCRD
सदस्य का स्थायी पता (	ए/एन	LAING PART, LAING, RAJGANGPUR, SUNDARGARH
राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	OR (ओडिशा)
पिन कोड (स्थायी पता	एन	770017
सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	LAING PART, LAING, RAJGANGPUR, SUNDARGARH
राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	OR (ओडिशा)
पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	770017

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
पता	ए/एन	
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	ACTCRD
अनन्य खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	039000012
खाता संख्या	ए/एन	123456
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केंद्र/सेंटर पहचानकर्ता	ए/एन	039003
ऋण उत्पन्न करने वाले ऋण अधिकारी	ए/एन	ABC XYZ
खाता जानकारी की तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	03102015
ऋण श्रेणी	ए/एन	T04
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^INDIRA SHG
ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	1
ऋण का उद्देश्य	ए/एन	SEA
खाता स्थिति	ए/एन	S04
आवेदन की तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	04022014
स्वीकृति तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	28022014
खोली गई/वितरित तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	28022014

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
बंद होने की तिथि (यदि बंद है)	(दिन---माह----वर्ष----)	
अंतिम भुगतान की तिथि	(दिन---माह----वर्ष----)	08032016
आवेदित राशि	एन	15000
स्वीकृत ऋण राशि	एन	15000
कुल वितरित राशि (रुपये)	एन	15000
किश्तों की संख्या	एन	24
चुकौती आवृत्ति	ए/एन	F03
न्यूनतम देय राशि/किश्त राशि	एन	808
वर्तमान शेष (रुपये)	एन	4599
अतिदेय राशि (रुपये)	एन	0
डीपीडी (बकाया दिन)	ए/एन	0
बट्टे खाते डाली गई राशि (रुपये)	एन	
बट्टे खाते डालने की तिथि (यदि बट्टे खाते डाला गया हो)	(दिन---माह----वर्ष----)	
बट्टे खाते डालने का कारण (यदि बट्टे खाते डाला गया हो)	ए/एन	
आयोजित बैठकों की संख्या	एन	45
कितनी बैठकें नहीं हो पाईं	एन	22
बीमा संकेतक	ए/एन	

फील्ड	डेटा प्रकार	मान/विवरण
बीमे का प्रकार	ए/एन	
बीमा राशि/कवरेज	एन	
सप्ताह का सहमत बैठक दिन	ए/एन	
दिन का सहमत बैठक समय	ए/एन	
डमी	ए/एन	

अनुबंध II

वाणिज्यिक पत्र के संबंध में सूचना रिपोर्ट करने का प्रारूप

'सीपी' प्रस्तावित फ़ील्ड	**वाणिज्यिक डेटा प्रस्तुति प्रारूप में उपलब्ध फ़ील्ड**	**प्रारूप के विवरण कॉलम में अद्यतन (वाणिज्य पत्र (कमर्शियल पेपर) के मामले में)**
सीपी जारीकर्ता का नाम	बीएस खंड - फ़ील्ड सं. 4. फ़ील्ड का नाम: उधारकर्ता का नाम	'सीपी जारीकर्ता का नाम' दर्ज किया जाए
सीपी राशि	सीआर खंड- फ़ील्ड सं. 5. फ़ील्ड का नाम: स्वीकृत राशि/ संविदा की सांकेतिक राशि	'सीपी की राशि' दर्ज की जाए
जारी करने की तारीख	सीआर खंड - फ़ील्ड सं. 4. फ़ील्ड का नाम: सुविधा / ऋण सक्रियण / स्वीकृति की तारीख	'जारी करने की तारीख' दर्ज की जाए
परिपक्वता की तारीख	सीआर खंड - फ़ील्ड सं. 13. फ़ील्ड का नाम: ऋण समाप्ति / परिपक्वता की तारीख	'परिपक्वता की तारीख' दर्ज की जाए
सीआरए का नाम	बीएस खंड - फ़ील्ड सं. 24. फ़ील्ड का नाम: मूल्यांकन एजेंसी / प्राधिकारी	'सीआरए का नाम' रिपोर्ट किया जाए
रेटिंग एजेंसी	बीएस खंड - फ़ील्ड सं. 23. फ़ील्ड का नाम: क्रेडिट रेटिंग	'प्रदत्त रेटिंग' रिपोर्ट की जाए
चूक की राशि	सीआर खंड - फ़ील्ड सं. 17. फ़ील्ड का नाम: बकाया राशि / बकाया सीमा	'चूक की राशि' दर्ज की जाए

अनुबंध III

व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) सदस्यों के संग्रह के लिए संकेतात्मक डेटा प्रारूप[6]

सारणी 1: उन व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को आबंटित या द्वारा ली जाने वाली ऋण की कुल राशि ₹30,000 से अधिक है[7]

विवरण अपेक्षित	विवरण प्रदत्त	आधार
I. गैर-ऋण संबंधी जानकारी		
1. स्वयं सहायता समूह का नाम		स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा प्रदान किया जाएगा
2. स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खाता संख्या		स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा प्रदान किया जाएगा
3. स्वयं सहायता समूह का ऋण खाता संख्या		बैंक द्वारा आवंटित किया जाएगा
4. स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम	क्रेडिट सूचना	जैसा कि क्रेडिट सूचना कंपनी द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ पर या सीआई के रिकॉर्ड में दर्ज है
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड नंबर / वोटर आईडी / पैन / ड्राइविंग लाइसेंस / नरेगा कार्ड / पासपोर्ट[8]

[6] इसमें दिए गए प्रारूप सूचना की आवश्यकताओं को इंगित करने के उद्देश्य से हैं और इनमें दर्शाए गए सभी विवरणों और विस्तृत जानकारी के एकत्र किए जाने की शर्त पर, इन्हें किसी भी प्रारूप में डिजिटल बनाया जा सकता है।

[7] यह जानकारी नए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण स्वीकृत करते समय, या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय, या मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्र की जानी है। जिन बैंकों के एसएचजी ऋण खंड में सकल एनपीए (सकल एनपीआई) अनुपात 10% से अधिक है, वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से इस सारणी और अगली सारणी में दर्शाई गई जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए एक निचली सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस राशि में किसी भी सब्सिडी या सदस्य की अपनी बचत से आए मार्जिन को शामिल नहीं किया जाएगा, जो उस गतिविधि या उद्देश्य को वित्तपोषित करने के लिए जाता है जिसके लिए ऋण लिया गया है (चाहे वह बैक-एंड हो या फ्रंट-एंड)।

[8] बैंकों को विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के दायरे में आता है, जो पहचान के प्रमाण के लिए रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए सरलीकृत उपायों से संबंधित है, और उन्हें लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करे। जहाँ भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने के लिए तैयार हो, वहाँ 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) प्रक्रिया आरबीआई के परिपत्र के अनुसार की जानी चाहिए

विवरण अपेक्षित	विवरण प्रदत्त	आधार
6. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)		दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक
7. पिता / पति का नाम	क्रेडिट सूचना	जैसा कि क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ में उल्लेखित है
8. पुरुष या महिला		जैसा कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
9. जन्म तिथि (यदि पहचान पत्र पर मुद्रित हो)		दिन/महीना/वर्ष
10. पता (राज्य कोड और पिन कोड सहित पूर्ण पता)		घोषणा के आधार पर[9]
11. अन्य मौजूदा बैंक खातों के बारे में जानकारी		घोषणा के आधार पर
12. शिक्षा स्तर	कोड का उपयोग किया जाएगा: निर्धन: 1 पास 5वीं कक्षा: 2 पास 8वीं कक्षा: 3 पास 10वीं कक्षा: 4 10वीं कक्षा से ऊपर: 5	घोषणा के आधार पर
13. व्यवसाय	कोड का उपयोग किया जाएगा: गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा के आधार पर
14. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)		घोषणा के आधार पर
15. सामाजिक स्तर	कोड का उपयोग किया जाएगा: अनुसूचित जाति : 1 अनुसूचित जनजाति: 2	घोषणा के आधार पर

और इसे केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसीs) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य के बचत बैंक खाता खोलते समय केवाईसी पहले ही कर लिया गया है, या अन्यथा, तो कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाएगा।

[9] क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) को केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करनी होगी।

विवरण अपेक्षित	विवरण प्रदत्त	आधार
	अन्य पिछड़ा वर्ग : 3 सामान्य: 5	
16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर
II. ऋण संबंधी जानकारी.[10]		
17. मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी - अन्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जहाँ व्यक्ति सदस्य है	क्रेडिट सूचनाक्रेडिट सूचना	क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) द्वारा प्राप्त क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) रिपोर्ट के आधार पर या सीआईसी रिपोर्ट (सीआईसी) रिपोर्ट की अनुपस्थिति में)
17.1 स्वयं सहायता समूह खाते की स्थिति □ स्वयं सहायता समूह का नाम □ स्वयं सहायता समूह का ऋण खाता संख्या □ ऋण देने वाले बैंक का नाम □ उधार ली गई राशि □ बकाया राशि □ खाते की स्थिति □ नियमित □ डिफॉल्टर (चूककर्ता) □ निपटाया गया □ न्यायालय में विचाराधीन	क्रेडिट सूचना	यदि उपलब्ध हो, तो क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर
17.2 यदि चूक (डिफॉल्ट) में है, तो स्वयं सहायता समूह सदस्य के ऋण खाते की स्थिति यदि स्वयं सहायता समूह ऋण उसे वितरित किया गया था:.[11] • स्वयं सहायता समूह का नाम • ऋण देने वाले बैंक का नाम • उधार ली गई राशि • बकाया राशि		यदि उपलब्ध हो तो सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर; अन्य मामलों में स्वयं सहायता समूह के पत्र पर भरोसा किया जाएगा

[10] यदि समूह ऋण ₹1,00,000/- तक है, तो यह लागू नहीं होगा।

[11] जब तक क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के पास व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों का डेटाबेस उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक यह जानकारी संबंधित एसएचजी द्वारा प्रदान किए गए पत्र के आधार पर एकत्र की जा सकती है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। यदि एसएचजी खाता नियमित है, तो बिंदु 17.2 लागू नहीं होगा।

विवरण अपेक्षित	विवरण प्रदत्त	आधार
18. क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) द्वारा स्वयं सहायता समूह को प्रदत्त समूह ऋण में से ली जाने वाली प्रस्तावित ऋण राशि.[12]		स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव का पत्र। बाद में सीआई द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
19. सदस्य द्वारा अन्य स्रोतों से व्यक्तिगत क्षमता में लिए गए ऋण		यह जानकारी यदि उपलब्ध हो तो सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर एकत्र की जा सकती है। यदि सीआईसी के पास उपलब्ध नहीं है, तो एक बार जब सदस्य अपने पिछले उधार की घोषणा करता है, तो व्यक्तिगत सीआई की रिपोर्ट मांगी जा सकती है।

सारणी 2: उन व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्य को आबंटित या द्वारा ली जाने वाली ऋण की कुल राशि ₹30,000 तक है.[13]

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
I. ऋणेतर संबंधी जानकारी		
1. स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) का नाम		स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा प्रदान किया जाएगा

[12] सभी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को पूर्व में ही यह निर्णय लेना होगा कि वे एसएचजी ऋण का उपयोग कैसे करने का प्रस्ताव रखते हैं। जिन मामलों में यह सहमति बनी हो कि ऋण का वितरण व्यक्तिगत सदस्यों को 30,000 रुपये से अधिक किया जाएगा, अथवा जहां ऋण लेते समय सहमति न होने के बावजूद वास्तव में वितरित राशि 30,000 रुपये से अधिक हो गई हो, वहां एसएचजी के पदाधिकारियों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) को इसकी सूचना देनी अनिवार्य है। इस शर्त का पालन न किए जाने को भविष्य में एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय अथवा उसकी नकद ऋण सीमा (कैश क्रेडिट लिमिट) के नवीनीकरण के समय ध्यान में रखा जा सकता है। सीआई को ऋण समझौतों में ऐसे उपयुक्त खंड शामिल करने चाहिए जिनमें समूह ऋण से ली गई ऋण राशि के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करने पर दंडात्मक प्रावधान हों। अपने अनुभव के आधार पर, सीआई उन मामलों में जहां एसएचजी द्वारा प्रति सदस्य ली गई ऋण की औसत राशि 20,000 रुपये से अधिक है, सीआई ऋणों से वितरित राशियों के सत्यापनीय रिकॉर्ड के रखरखाव पर भी जोर दे सकती हैं।

[13] यह जानकारी नए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण स्वीकृत करते समय, या मौजूदा ऋणों के नवीनीकरण के समय, अथवा मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्र की जानी है। जिन बैंकों के एसएचजी ऋण खंड में सकल एनपीए (सकल एनपीए) अनुपात 10% से अधिक है, वे अपने बोर्ड के अनुमोदन से इस सारणी में दर्शाई गई जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए एक निचली सीमा निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित सीमा की गणना करते समय उस राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जो सब्सिडी के रूप में मिली हो या सदस्य की अपनी बचत (मार्जिन) से आई हो, चाहे वह गतिविधि को वित्तपोषित करने के लिए 'प्रारंभ में ' या 'अंतिम उपयोग के रूप में' किसी भी रूप में उपयोग की गई हो।

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
2. स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) का बचत बैंक खाता संख्या		स्वयं सहायता समूह के सदस्य द्वारा प्रदान किया जाएगा
3. स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) का ऋण खाता संख्या		क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) द्वारा आवंटित किया जाएगा
4. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज या क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) के रिकॉर्ड में दर्ज है
5. सीआई द्वारा स्वीकार किया गया पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड संख्या / वोटर आईडी / पैन / ड्राइविंग लाइसेंस / नरेगा संख्या / पासपोर्ट.[14]
6. सीआई द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)		दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक
7. पिता / पति का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज में उल्लिखित है
8. पुरुष या महिला		जैसा कि स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित हो)		दिन/महीना/वर्ष
10. पता (राज्य कोड और पिन कोड सहित पूर्ण पता)		घोषणा के आधार पर.[15]
11. अन्य मौजूदा बैंक खातों के बारे में जानकारी		घोषणा के आधार पर

[14] बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 (यथासमय संशोधित) के दायरे में आता है, जो पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपायों से संबंधित है। ऐसे सदस्यों को 'लघु जमा खाते' या 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाते' खोलने की पेशकश की जानी चाहिए। जहाँ भी कोई एसएचजी सदस्य ऐसा खाता खोलने के लिए तैयार हो, वहाँ 'अपने ग्राहक को जानिए' (केवाईसी) प्रक्रिया आरबीआई के संबंधित परिपत्र के अनुसार की जानी चाहिए और इसे केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यदि एसएचजी सदस्य के बचत बैंक खाता खोलते समय केवाईसी पहले ही कर लिया गया है, तो कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ एकत्र नहीं किए जाएंगे।

[15] क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई) को आवश्यक जानकारी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से प्राप्त करनी होगी।

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
12. शैक्षणिक स्तर	प्रयोज्य कोड: निरक्षर: 1 कक्षा 5 उत्तीर्ण: 2 कक्षा 8 उत्तीर्ण: 3 कक्षा 10 उत्तीर्ण: 4 कक्षा 10 से ऊपर: 5	घोषणा के आधार पर
13. व्यवसाय	प्रयोज्य कोड: गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा के आधार पर
14. मासिक पारिवारिक आय (₹ में)		घोषणा के आधार पर
15. सामाजिक स्तर	प्रयोज्य कोड: अनुसूचित जाति (एससी): 1 अनुसूचित जनजाति (एसटी): 2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 3 सामान्य: 5	घोषणा के आधार पर
16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर
II. क्रेडिट संबंधी जानकारी.[16]		
17. मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी – अन्य स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम जिनका व्यक्ति सदस्य है		सीआई द्वारा प्राप्त क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआई सी) रिपोर्ट के आधार पर या (सीआईसी) रिपोर्ट की अनुपस्थिति में) सीआई रिपोर्ट के आधार पर
17.1 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) खाते की स्थिति: □ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नाम □ स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का ऋण खाता संख्या □ ऋण प्रदान करने वाले बैंक का नाम □ उधार ली गई राशि □ बकाया राशि □ खाते की स्थिति		यदि उपलब्ध हो, तो सीआई द्वारा प्राप्त क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) रिपोर्ट के आधार पर

[16] यदि समूह ऋण की राशि **₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)** तक है तो लागू नहीं होगा।

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
□ नियमित □ डिफॉल्टर (चूककर्ता) □ निपटारा किया गया □ न्यायालय में विचाराधीन		
18. सीआई द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को प्रदान किए गए समूह ऋण में से ली जाने वाली प्रस्तावित ऋण राशि		यदि उपलब्ध हो, तो क्रेडिट सूचना कंपनी (सीआईसी) रिपोर्ट के आधार पर
19. सदस्य द्वारा अन्य स्रोतों से व्यक्तिगत क्षमता में लिए गए ऋण		ऋण की राशि का सत्यापन सीआई द्वारा स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रिकॉर्ड से किया जाएगा।

सारणी 3[17]: सीआई द्वारा केंद्रीय क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप के हिस्से के रूप में रिपोर्ट की जाने वाली व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह(एसएचजी) सदस्यों की जानकारी

रिपोर्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ	एमएफआई रिपोर्टिंग प्रारूप में संबंधित फ़ील्ड
ऋणेतर संबंधी जानकारी	
1. नाम (जैसा कि पहचान दस्तावेज़ पर अंकित है)	सदस्य खंड - ग्राहक के नाम के लिए फ़ील्ड सं. 6, 7, 8
2. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज़ की प्रकृति	सदस्य खंड - अन्य आईडी प्रकार विवरण के लिए फ़ील्ड सं. 32, 34, 36
3. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए फ़ील्ड सं. 33, 35, 37; सदस्य खंड - यूआईडी (आधार), वोटर आईडी, राशन कार्ड नंबर जैसे फ़ील्ड के लिए फ़ील्ड सं. 28 से 31 का प्रयोग किया जाना चाहिए।
4. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)	सदस्य खंड - सदस्य की जन्म तिथि के लिए फ़ील्ड सं. 10

[17] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य डेटा प्रारूपों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन करने की एक सतत प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना है। यह समूह सीआई द्वारा सीआईसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा रिपोर्ट करने के उद्देश्य से सारणी का 3 (व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी) को उपयुक्त रूप से अनुकूलित करेगा।

रिपोर्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ	एमएफआई रिपोर्टिंग प्रारूप में संबंधित फ़ील्ड
5. पिता/पति का नाम	सदस्य खंड - सदस्य के पारिवारिक विवरण के लिए फ़ील्ड सं. 17, 18, 19, 20
6. पता (राज्य कोड और पिन कोड सहित पूरा पता)	पता खंड - पते, राज्य कोड और पिन कोड के लिए फ़ील्ड सं. 60, 61, 62
7. पुरुष या महिला	सदस्य खंड - सदस्य के लिंग प्रकार के लिए फ़ील्ड सं. 13
8. उस स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नाम जिसका व्यक्ति सदस्य है	सदस्य खंड - समूह पहचानकर्ता के लिए फ़ील्ड सं. 5। *(यह फ़ील्ड 'समूह विशिष्ट आईडी^समूह का नाम' को कैप्चर करने के लिए संशोधित किया गया है)*
9. एसएचजी का बचत खाता संख्या	सदस्य खंड - सदस्य के बचत बैंक विवरण (बैंक का नाम, शाखा कोड, खाता) के लिए फ़ील्ड सं. 45, 46, 47
10. एसएचजी का ऋण खाता संख्या	खाता खंड - खाता संख्या के लिए फ़ील्ड सं. 66
11. बैंक द्वारा आश्रित किसी अन्य पहचान दस्तावेज़ की संदर्भ संख्या	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए फ़ील्ड सं. 28-31 और 35, 37
12. एसएचजी सदस्य का शैक्षणिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य की शैक्षणिक योग्यता के लिए फ़ील्ड सं. 42
13. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)	सदस्य खंड - कुल मासिक पारिवारिक आय के लिए फ़ील्ड सं. 49
14. व्यवसाय	सदस्य खंड - व्यवसाय के लिए फ़ील्ड सं. 48
15. सामाजिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य की जाति के लिए फ़ील्ड सं. 52
16. मोबाइल नंबर	सदस्य खंड - सदस्य के फोन नंबर के लिए फ़ील्ड सं. 39, 41
II. क्रेडिट संबंधी जानकारी.[18]	
17. सदस्य द्वारा एसएचजी ऋण से ली गई ऋण राशि	खाता खंड - कुल संवितरित राशि के लिए फ़ील्ड सं. 83

[18] यदि समूह ऋण की राशि **₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)** तक है तो लागू नहीं होगा।

सारणी 4: एसएचजी के नए बचत बैंक खाते खोलने के समय एकत्र की जाने वाली व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की जानकारी

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
1. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा भरा जाना है
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		बैंक द्वारा आवंटित की जाएगी
3. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ पर अंकित है
4. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड नंबर / वोटर आईडी / पैन / ड्राइविंग लाइसेंस / नरेगा कार्ड / पासपोर्ट[19]
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)		दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक
6. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ में उल्लिखित है
7. पुरुष या महिला		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
8. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज़ पर मुद्रित हो)		दिन/माह/वर्ष
9. पता (राज्य कोड और पिन कोड सहित पूरा पता)		घोषणा के आधार पर[20]
10. अन्य मौजूदा बैंक खातों की जानकारी		घोषणा के आधार पर

[19] बैंकों को विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 (यथासमय संशोधित) के दायरे में आता है। ये निदेश पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपायों के परिचय से संबंधित हैं और उन्हें लघु जमा खाते या बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने की पेशकश करता है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह सदस्य उपरोक्त निदेशों के तहत ऐसा खाता खोलना चाहता है तो वहाँ अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए और उसकी जानकारी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

[20] बैंक द्वारा केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
11. शैक्षिक स्तर	**प्रयोज्य कोड:** निरक्षर: 1 पाँचवीं उत्तीर्ण: 2 आठवीं उत्तीर्ण: 3 दसवीं उत्तीर्ण: 4 दसवीं से ऊपर: 5	घोषणा के आधार पर
12. व्यवसाय	**प्रयोज्य कोड:** गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 लघु किसान: 4	घोषणा के आधार पर
13. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)		घोषणा के आधार पर
14. सामाजिक स्तर	**प्रयोज्य कोड:** अनुसूचित जाति (एससी): 1 अनुसूचित जनजाति (एसटी): 2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 3 सामान्य: 5	घोषणा के आधार पर
15. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर

अनुबंध-IV

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम, 2002) के तहत कब्जे में ली गई सुरक्षित आस्तियोंकी जानकारी

क्र. सं.	शाखा का नाम	राज्य	उधारकर्ता का नाम	गारंटीकर्ता का नाम (जहाँ लागू हो)	उधारकर्ता का पंजीकृत पता	गारंटीकर्ता का पंजीकृत पता (जहाँ लागू हो)	बकाया राशि (₹ में)	आस्ति वर्गीकरण	परिसंपत्ति वर्गीकरण की तिथि	कब्जे में ली गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण	कब्जे में ली गई सुरक्षित संपत्ति के हकदार का नाम

अनुबंध V

एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में संशोधन

1. वाणिज्यिक ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप में 'फैक्स नंबर' फील्ड का नाम बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।
2. एमएफआई (सूक्ष्म वित्त संस्था) ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप के तहत 'डमी' फील्ड का नाम बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।
3. उपरोक्त क्षेत्रों को 'जब उपलब्ध हो' श्रेणी में ही वर्गीकृत किया जाएगा।

अनुबंध-VI

क्रेडिट सूचना की रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमा पर उदाहरण

	क्रेडिट सूचना रिपोर्ट किए जाने की तिथि	**सीआई सीआईसी के साथ डेटा साझा करेंगे**	**सीआईसी क्रेडिट सूचना दर्ज करेंगे और सुधार रिपोर्ट सीआई के साथ साझा करेंगे**	**सीआई द्वारा सीआईसी के साथ अस्वीकृत डेटा में सुधार साझा करेंगे**
महीने का दिन	9वां	13 वां	16 वां	20 वां
	16 वां	20 वां	23वां	27 वां
	23वां	27 वां	30 वां	अगले महीने की 5 तारीख
	महीने का अंतिम दिन	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 8 तारीख	अगले महीने की 13 तारीख